खण्ड-217, अंक-8
शुक्रवार, 15 आश्विन, शक संवत् 1882
(7 अक्टूबर, 1960 ई0)

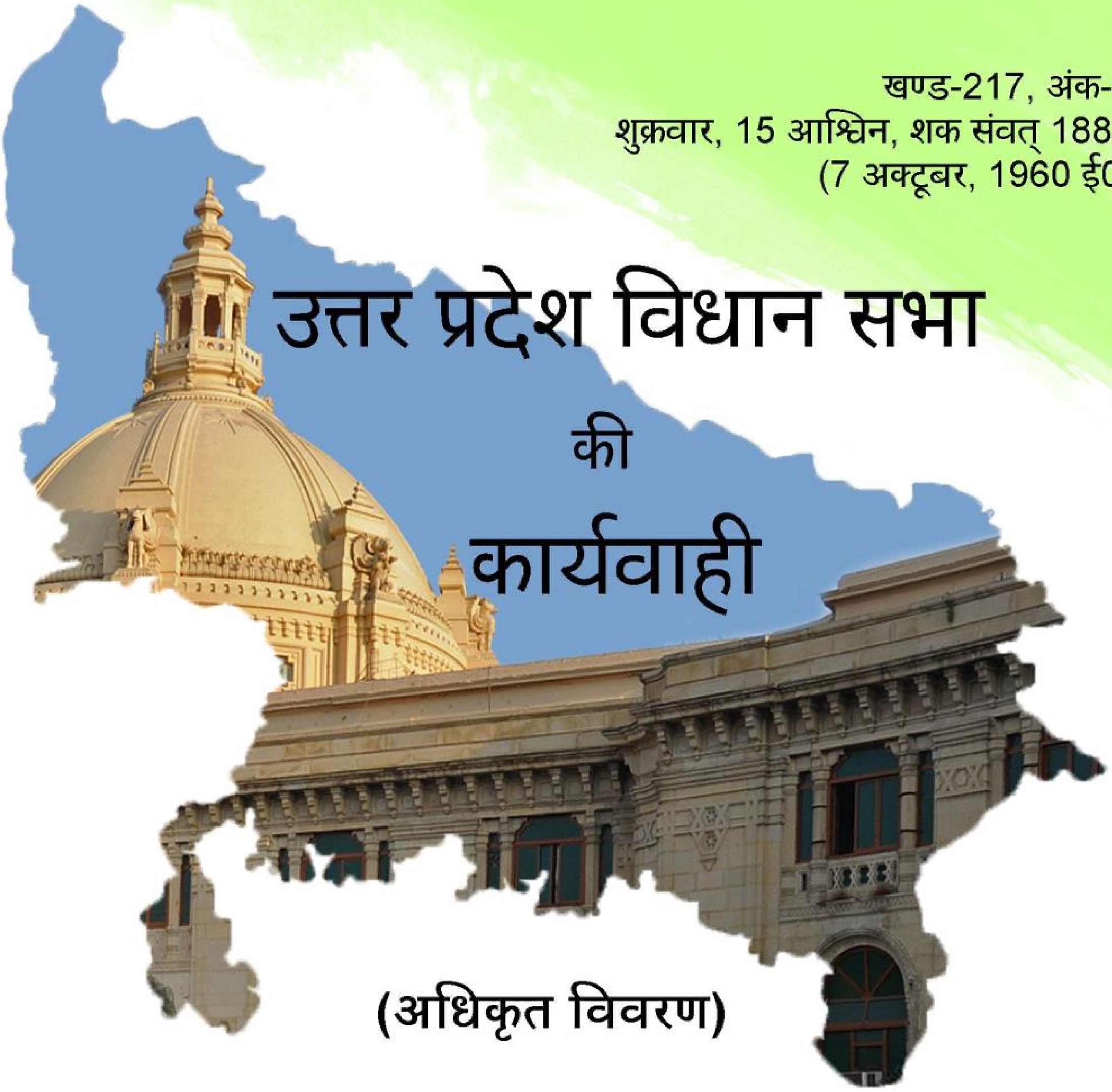

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 217 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या।
उपस्थित सदस्य	७१७–७२१
प्रश्नोत्तर	७२१–७४७
अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १ व २ के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण (जारी)	७४७–७४८
प्रश्नों की अस्वीकृति के सम्बन्ध में शिकायत	७४८
अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १ व २ के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण	७४८–७४९
फीरोजाबाद में रामलीला के जुलूस पर बम फेंकने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग	७४९
मुख्य मंत्री तथा गृह मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न उठाने की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गयी)	७४९–७५१
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गयी)	७५१–७५३
बाढ़ के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य देने की मांग ..	७५३
अभिलचित कार्य-स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में जानकारी .	७५३–७५४
१२ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न ४–५ से सम्बन्धित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	७५४
फीरोजाबाद में रामलीला के जलूस पर बम फेंकने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	७५४–७५६
सदन का भावी कार्यक्रम	७५६–७५७
नस्थियां	७५८–७६३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ७ अक्तूबर, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८२

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अभयराम यादव, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूरअली खां श्री
गरीबदास चौधरी, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री

नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभान प्रकाश सिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतहसिंह, राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपाल सिंह श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)

रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोरराव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सरस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री

शिवराम पांडेय, श्री
शिवबचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
संत राम शुक्ल श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह बसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ७ अक्तूबर, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

फीरोजाबाद का बम काण्ड

**१—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर), श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी), श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर), श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) तथा श्री व्रजबिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या गत १८ सितम्बर, को फीरोजाबाद (जिला आगरा) में रामलीला जुलूस पर बम फेंका गया था ? यदि हां तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त बम कांड में कितने व्यक्ति हत या आहत हुये ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी हां, बम १७ सितम्बर को फेंका गया था और उसके फटने से ४७ व्यक्ति आहत हुये ।

****२—श्री मदन पांडेय, श्री कल्याणचन्द मोहिले, श्री लक्ष्मणराव कदम, श्री चन्द्रजीत यादव, कुंवर श्रीपालसिंह, श्री झारखंडेराय तथा श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा**—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुये ?

श्री रामस्वरूप यादव—७२ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी इस घटना का संक्षिप्त विवरण, जो जिला अधिकारियों की तरफ से भेजा गया है, सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—१७ सितम्बर, १९६० को करीब सवा ११ बजे रात में रामलीला बारात का जुलूस लौट रहा था तो जामा मस्जिद के पास जुलूस के पिछले भाग पर बम फेंका गया जिसमें ४७ व्यक्ति आहत हुये और जिन व्यक्तियों को चोटें लगीं उसमें कुछ व्यक्तियों को, जिनकी हालत खराब थी, अस्पताल भेजा गया । एस० पी० और जिलाधीश मौके पर पहुंच गये । दूसरे दिन सुबह ८ बजे कुछ छूरेबाजी की घटनायें मालूम पड़ीं । फिर करफ्यू लगा दिया गया ।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बम जो फेंका गया था वह देशी था या कहीं फौज वगैरह से चुराकर कोई ले आया था ?

श्री रामस्वरूप यादव—वहां पर लोहे के कुछ टुकड़े भी पाये गये उनकी जानकारी के लिये पूरी कार्यवाही की जा रही है । कुछ जानकारी हो भी गई है लेकिन उसको इस वक्त बताना उचित नहीं है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या बम फेंकने के सिलसिले में भी कुछ व्यक्ति गिरफ्तार हुये ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं जानना चाहता कि कुल कितनी गिरफ्तारियां हुईं बल्कि मैं यह जानना चाहता हूं कि बम फेंकने के सिलसिले में क्या कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुये हैं एक दो ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने पहले निवेदन किया कि ७२ व्यक्ति गिरफ्तार हुये हैं । अब यह है कि जांच चल रही है इसलिये उस सिलसिले में कोई विवरण देना उचित नहीं होगा ।

श्री झारखंडेराय—क्या गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ४७ आदमी घायल हुये हैं उनमें से बाद में अस्पताल में कोई व्यक्ति मर भी गया ? यदि हां, तो कितने ?

श्री रामस्वरूप यादव—उनमें से अस्पताल में कोई नहीं मरा ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ७२ आदमी पकड़े गये हैं उनमें से ऐसे कितने हैं जो बम की घटना के सम्बन्ध में पकड़े गये और क्या जो पकड़े गये हैं उनमें से कोई ऐसे भी हैं जिनका किसी विदेशी षड्यन्त्र से सम्बन्ध हो जिसके आधार पर बम फेंका गया हो ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, निवेदन किया गया कि अभी उसकी जांच हो रही है, कुछ रिपोर्ट भी आया है लेकिन उसकी तफसील इस समय बताना सम्भव नहीं होगा और शायद उचित भी न हो ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय मंत्री जी ने जो ७२ आदमियों की संख्या गिरफ्तारियों की बतायी तो क्या ये लोग करफ्यू के संबंध में गिरफ्तार हुये हैं या ये बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तर हुये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, ये गिरफ्तारियां करफ्यू के संबंध में, छुरेबाजी की घटना के संबंध में, और इस घटना के सिलसिले में हुई हैं। अलाहिदा-अलाहिदा बताना, मैंने निवेदन किया, ठीक नहीं होगा।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस जुलूस के ऊपर बम फेंका गया, उसकी रक्षा के लिये उसके साथ कितनी पुलिस थी और जिस स्थान से यह बम फेंका गया वह स्थान उस वक्त किसके कब्जे में था ?

श्री रामस्वरूप यादव—मस्जिद के पास से बम फेंका गया था और जैसा कि मैंने निवेदन किया ऐसी सूचना है कि उधर ही कहीं से फेंका गया था। जो मस्जिद है वह तो अपनी जगह है ही।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इसमें अवश्य ही कोई षडयंत्र मालूम होता है, ऐसा उनकी जांच से पता चला है क्योंकि वह बम ऐसे समय फेंका गया जब कि हमारे प्रधान मंत्री पाकिस्तान गये हुये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी पूरी जांच हो रही है कि वह बम कहां से फेंका गया, रात को फेंका गया तो क्या मामला था और यह किन लोगों ने फेंका, इन सारी बातों की जांच हो रही है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि १२ अगस्त को भी वहां साम्प्रदायिक दंगा हो गया था ? यदि हां, तो वह किस कारण से हुआ था और कितने आदमी उसमें घायल हुये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसके बारे में पिछली बार बहुत से सवाल हो चुके हैं और विवाद भी हो चका है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि शांति कमेटी बनाने के बहाने से डी० एस० पी० मुकर्जी जनसंघ के १२ कार्यकर्त्ताओं को पुलिस के थाने में ले गये और उनसे एक घंटे तक वार्तालाप करते रहे और बाद में यह झूठा आरोप लगा कर कि वे दफा १४४ तोड़ रहे थे उनको पकड़ लिया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी कोई शिकायत हमारे सामने नहीं आयी और न ऐसा किया जाता है कि पहले उनको शान्ति कमेटी के नाम से ले जाया जाय और बाद में गिरफ्तार कर लिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस घटना से जो साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो गया है उसको दूर करने के लिये सरकार की ओर से क्या प्रयास किया गया है ? क्या सरकार की ओर से कोई शांति कमेटी बनायी गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, शांति कमेटी का भी काम हो रहा है। इसका कुछ जो प्रभाव आस-पास के गांवों पर हुआ था तथा रेलवे स्टेशन पर पड़ा था, वहां पुलिस इत्यादि का पूरा प्रबंध किया गया और उम्मीद की जाती है कि अब वहां की स्थिति गड़बड़ नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बम की दुर्घटना के कितनी देर बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और भीड़ के ऊपर उसने क्यों नियंत्रण नहीं किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पुलिस तो प्रोसेशन के साथ ही थी जैसे कि रामलीला के जुलूस के साथ साधारणतः वह रहती है। जब वहां के लोगों ने मस्जिद में घुसने की चेष्टा की तो पुलिस वालों ने उन्हें रोका और उन पर कन्ट्रोल किया।

श्री मदनपांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब १२ अगस्त को साम्प्रदायिक दंगा हो चुका था तथा उसके बाद भी तनातनी का वातावरण मौजूद था, इसको देखते हुये रामलीला के जलूस के अवसर पर प्रिकाशन क्यों नहीं ली गयी ताकि ऐसी घटना न हो पाती ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो प्रिकाशन ली जाती हैं वे ली गयीं। ११, साढ़े ग्यारह बजे बम फेंका गया मसजिद में से, तो इस बात की तो किसी को उम्मीद न थी और मस्जिद में कोई बैठाया नहीं गया था। साधारण प्रिकाशन्स ली गयी थीं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस समय यह घटना घटी उस समय मस्जिद में कौन लोग थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—मस्जिद में जो कुछ लोग थे उनमें से कुछ भागते हुये पकड़े भी गये।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। अभी मंत्री महोदय ने बतलाया कि ७२ आदमियों की गिरफ्तारी हुई है जब कि असलियत यह है कि इस सिलसिले में सैकड़ों आदमियों को सजा हो चुकी है। ो इस तरह से सदन में एक विशेषाधिकार भंग करने का प्रश्न पैदा होता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय सही स्थिति बतलाने की कृपा करें कि अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुये हैं और कितने व्यक्तियों को सजा हो चुकी है। उन्होंने तो ७२ व्यक्तियों के गिरफ्तार होने की बात बतलायी जब कि सैकड़ों व्यक्तियों को इस सिलसिले में ६ महीने तक की सजा हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष—यह तो आपकी नोटिस हो गयी, अब आप इस बात की तहकीकात करके साबित करें कि यह झूठा बयान है।

श्री जगन्नाथ लहरी—श्रीमन्, यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी है इसलिये मैंने यह सवाल आपके सामने पे (किया है।

श्री अध्यक्ष—यह वैधानिक प्रश्न नहीं है। आपको इस बात का अख्तियार तो है ही कि आप जांच करके यह साबित करें कि इस समय जो उन्होंने उत्तर दिया है वह गलत है। आप प्रीविलेज मोशन कंटेम्ट का भेज दें मेरे पास।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रि ा तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

पुलिस थाना, मनकापुर के विरुद्ध शिकायतें

*१—**श्री बलदेवसिंह** (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिलाधीश व एस० पी० गोंडा के पास १९ अगस्त, १९६० को कुछ व्यक्तियों एवं संस्थाओं की ओर से ऐसी नोटिसें दी गई हैं कि वे पुलिस थाना मनकापुर, जिला गोंडा द्वारा किये गये अत्याचारों के विरुद्ध भूख हड़ताल करेंगे ? यदि हां, तो नोटिसें किनकी ओर से प्राप्त हुईं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं। केवल एक व्यक्ति ने जिलाधीश गोंडा को दिनांक १९ अगस्त, १९६०, को यह नोटिस एक घटना के स-बन्ध में दिया था कि यदि उनकी मांगों के अनुसार कार्यवाही न की गई तो वे भूख हड़ताल करेंगे।

श्री के० एस० पाठक वकील, गोंडा ने उपर्युक्त नोटिस दिया था। उक्त मांगों से सम्बन्धित घटना की जांच पहिले ही से सी० आई० द्वारा की जा रही है। अतः किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री बलदेवसिंह—क्या यह सही है कि जिस थानेदार की ज्यादती के विरुद्ध पाठक ने नोटिस दिया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि अगर उसके खिलाफ जांच नहीं की गयी तो हम भूख हड़ताल करेंगे, और जो फार्म थानेदार की भावज के नाम है उस पर बेगार से काम लेने की भी अनेक शिकायतें सरकार के पास आयी हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, वह थानेदार मनकापुर म जो पहले था, अब भी वहीं थानेदार है।

श्री बलदेवसिंह—वह फार्म उसका है, यदि यह बात सही है तो क्या सरकार उसको वहां से हटा कर तथा लाइन हाजिर करके कोई निष्पक्ष जांच करावेगी जिससे लोगों की शिकायतें दूर हो सकें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी जांच हो रही है, सी० आई० डी० वहां इनक्वायरी कर रही है, क ेक्टर इन्क्वायरी कर रहे हैं, एस० पी० इन्क्वायरी कर रहे हैं तथा डी० आई० जी० से भी कह दिया गया है कि वे इसकी इन्क्वायरी करें। सही बात अगर निकली तो उस पर कार्यवाही की जायगी। और अगर फार्म की बात सही निकली तो नियमतः जो कार्यवाही उचित होगी वह की जायगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस थानदार के खिलाफ पहले भी शिकायतें हो चुकी हैं, सरकार जांच के बाद और कार्यवाही तो बाद को करे लेकिन क्या वह उनके तब दला करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कई ओर से यह भी रिपोर्ट है कि जो ये शिकायतें की गयी हैं वे किसी खास वजह से की गयी हैं, इस सम्बन्ध में और भी कई बातें हैं। तो बिना उसकी जांच हुए और किसी सही नतीजे पर पहुंचे बिना कोई कार्यवाही करना मुनासिब नहीं होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—जब सदन के माननीय सदस्यों द्वारा निजी जानकारी के आधार पर किसी थानेदार के प्रति शिकायत की जाय और उसके होते हुए भी सरकार इन्कार कर दे, तथा उसे न माने तो कोई और भी उपाय है जो हम लोग रख सकें आपके सामने ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आपको कायदा मालूम ही है। आप कायदे का आश्रय लें।

श्री बलदेवसिंह—क्या यह सही है कि माननीय डिप्टी मिनिस्टर श्री यादव २२ अगस्त को नियम ५२ के अन्तर्गत इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि वह फार्म उसकी भावज के नाम है और उसके सम्बन्ध में अनेक शिकायतें सरकार के पास आयी हैं जिनकी वे जांच करवा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने निवेदन किया कि अगर स्वीक र किया जा चुका है तो नियमतः जो उ चत कार्यवाही होगी वह की जायगी।

*२-४—श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी गढ़वाल) तथा श्री रामचन्द्र उनियाल (जिला टेहरी गढ़वाल)—[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

फैजाबाद में श्री अब्दुल रशीद की रहस्यमय मृत्यु

*५—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक ७ अगस्त, १९६० को फैजाबाद नगर में श्री अब्दुल रशीद नामक १६ वर्षीय नवयुवक की रहस्यमय ढंग से मृत्यु हुई और उसकी लाश को तीसरे दिन कब्र से निकाल कर परीक्षा कराई गई ? यदि हां, तो मृत्यु के कारण क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—अब्दुल रशीद की मृत्यु ६ अगस्त, १९६० को हुई और उनके शव को दफना दिया गया। ८ अगस्त १९६० को मजिस्ट्रेट की जांच के बाद उनका शव कब्र से निकाला गया। पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण पता न लग सका। इसलिये विसरा (viscera) कैमिकल एक्जामिनर के पास भेजा गया। जांच में विसरा में पोटेशियम साइनाइड पाया गया इसलिये अनुमान है कि अब्दुल रशीद ने पोटेशियम साइनाइड खाकर आत्म हत्या की। जांच अभी जारी है।

श्री भीखालाल—क्या गृहमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके सामने कौन-सा सन्देह पैदा हुआ, कौन सी ऐसी बातें आईं कि जिन के आधार पर उनको मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी बिठानी पड़ी ?

श्री रामस्वरूप यादव—वहां के एक पत्रकार महोदय ने जिलाधीश को टेलीफोन से कहा कि इस मृत्यु में कोई रहस्य है, इसलिये मैजिस्ट्रेट को भेजा गया ।

श्री भीखालाल—क्या सरकार को सूचना है कि उक्त श्री अब्दुल रशीद की मृत्यु के २ दिन पहले उसे बाराबंकी में रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट पकड़े जाने पर पकड़ कर फैजाबाद लाया गया था और उस पर जुर्माना करके हवालात में बन्द किया गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, किया गया था और उस पर जुर्माना भी हुआ था और दूसरे दिन एक सज्जन के जुर्माना देने पर उन को छोड़ा गया था ।

श्री भीखालाल—क्या यह सही है कि सरकार को इसकी सूचना है कि जिन सज्जन ने उसको जुर्माना देकर छुड़ाया था, वही सज्जन उसे कार पर बिठाकर लाये थे और घर पर अचेत अवस्था में उस को छोड़ गये और घर पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो सही है कि उसको एक सज्जन कार में लाये थे और उसे लाकर एक जगह छोड़ दिया । वह घर आया और आने के बाद उसकी मृत्यु हुई, उसको अचेत अवस्था में नहीं छोड़ा । मैं यह भी निवेदन कर दूं कि जब जिलाधीश को रिपोर्ट मिली और पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो उसके पिता के घर से, जो निकिल का काम करता था एक बोतल पोटेशियम साइनाइड की बरामद हुई ।

श्री मदन पांडेय—अभी मंत्री जी ने बताया कि किसी पत्रकार ने इस मृत्यु के रहस्यमय होने की सूचना दी थी, तो पत्रकार ने किस प्रकार की रहस्यमय सूचना दी थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—उन्होंने यही सूचना दी थी कि उनकी समझ में श्री अब्दुल रशीद की मृत्यु रहस्यमय है ।

श्री भीखालाल—माननीय मंत्री जी ने बताया कि एग्जामिनेशन से मालूम हुआ कि शव में पोटेशियम साइनाइड पाया गया और इससे अनुमान हुआ कि उसने उसे खाकर आत्महत्या की, तो सरकार इस नतीजे पर कैसे पहुंची कि उसने स्वयं खाकर आत्महत्या की और इस नतीजे पर क्यों नहीं पहुंची कि उसको किसी ने खिलाया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोई नतीजे का सवाल नहीं है, इस सबकी जांच हो रही है, यह सही है कि पोटेशियम साइनाइड की बोतल उसके घर से निकली और केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट में लिखा है कि उसी के खाने से मृत्यु हुई है, पिता के घर पहुंच कर वह मरे और पिता ने ही उनको दफनाया, रिपोर्ट में यह नहीं है कि किसी ने उनको खिलाया या उन्होंने स्वयं खाया, इस सब की अभी जांच ही रही है ।

*६-७—**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)—[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*८-१०—**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया) तथा **श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)—[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

[७ अक्तूबर, १९६० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

आजमगढ़–बलिया–इलाहाबाद बस सर्विस में ड्राइवरों से अधिक काम लेने की शिकायत

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ राजकीय रोडवेज बस स्टेशन से बलिया एवं इलाहाबाद को जो बसें-जाती आती हैं उनके ड्राइवर और कंडक्टर को लगातार एक ही दिन में १३ घंटों से अधिक काम करना पड़ता है ?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—जी नहीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि "जी नहीं" में कितना समय लगता है ?

श्री अध्यक्ष—'जी नहीं" कहने में तो एक सेकिन्ड लगता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ से बलिया और इलाहाबाद जाने में कुल कितना समय लगता है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—१२ घंटे का ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज विभाग में काम करने वाले कंडक्टरों और ड्राइवरों को प्रत्येक २४ घंटे में कितना समय काम करने के लिये निर्धारित है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—१२ घंटे में साढ़े तीन घंटे, और स्टीयरिंग ड्यूटी ९ घंटे ली जाती है ।

श्री उग्रसेन—रोडवेज विभाग के ड्राइवरों की मुसीबतों का खयाल करते हुए क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि वह स्टीयरिंग ड्यूटी न मानी जाय, स्प्रेड ओवर ड्यूटी मानी जाय ?

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)—सेन्ट्रल मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के मुताबिक स्टीयरिंग ड्यूटी ९ घंटे की है, लेकिन स्प्रेड ओवर ड्यूटी १२ घंटे की होती है । इस देश में किसी भी स्टेट में इससे अधिक काम नहीं लिया जाता ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि ८ घंटे से अधिक काम लेने पर उन्हें अधिक एलाउंस देने का भी नियम है, लेकिन इन ड्राइवरों और कंडक्टरों को नहीं दिया जाता है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—ड्राइवरों को माइलेज एलाउन्स दिया जाता है ।

एन० सी० सी० योजना का कार्यान्वयन

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के समस्त उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालयों में एन० सी० सी० प्रशिक्षण अनिवार्य करने की योजना उनके विचाराधीन है ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)—जी नहीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कारण है कि यह समस्त उच्च-स्तर माध्यमिक विद्यालयों में लागू नहीं की जा रही है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—यह योजना भारत सरकार की है और वह जितना रुपया देती है उसके अनुसार इसको लागू किया जाता है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या यह सही है कि इस योजना को सरकार फिलहाल रूरल एरिया की संस्थाओं में भी लागू करने का विचार कर रही है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—यदि रूरल एरिया में डिग्री कालेज होंगे तो उनमें लागू की जायगी ।

मान्यता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सहायता न मिलना

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय अनुदान नहीं दिया जाता उन विद्यालयों के शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की कोई योजना उनके विचाराधीन है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जी नहीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कारण है कि ऐसे विद्यालयों को सहायता नहीं दी जाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सहायता तो दी जाती है । सब विद्यालय जितने मान्यता प्राप्त करते हैं इंटरमीडिएट बोर्ड से उनको सहायता धीरे-धीरे क्रमशः गवर्नमेन्ट देती चलती है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मैंने पूछा कि जो मान्यता प्राप्त उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय हैं, उनको प्रारंभिक सहायता सरकार से नहीं जारी की गई है, ऐसे विद्यालयों में इस प्रकार की सहायता दी जाती है ? मेरा खयाल है कि किसी प्रकार की सहायता जब तक कि प्रारंभिक अनुदान सरकार न दे, नहीं दी जाती । तो कारण क्या है न देने का ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रारंभिक अनुदान—वह तो अनुपालन अनुदान है । जब हम उनको प्रारंभिक अनुदान दे देते हैं, ऐसे नियम बने हुए हैं, तब उसके बाद और सब ग्रान्ट मिलती रहती है । जब तक अनुपालन अनुदान नहीं दिया जाता तब तक और ग्रान्ट्स हम नहीं देते ।

रोडवेज विभाग के पदों को पेंशनेबुल करने पर विचार

*४—श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के स्थायी रोडवेज विभा ग के पदों को अभी तक पेंशनेबुल क्यों नहीं किया गया है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

*५—श्री मुक्तिनाथराय—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—यह मामला सरकार क विचाराधीन है ।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह मामला कब से विचाराधीन है और अन्तिम निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—कुछ समय से विचाराधीन है । अन्तिम निर्णय शीघ्र होने वाला है।

सोजना में पुलिस थाने की स्थापना

*६—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—क्या यह सही है कि १९५८ में ललितपुर सब-डिवीजन झांसी में सरकार ने कुछ स्थानों पर थाने स्थापित करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर कौन-कौन थाने बन चुके हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। सन् १९५८ में ललितपुर सब-डिवीजन जिला झांसी में केवल सोजना में एक पुलिस थाना स्थापित करने के लिये आदेश जारी किये गये थे और वह थाना स्थापित भी हो चुका है।

रायबरेली जिले में आग्नेय अस्त्रों के लाइसेंस

*७—श्री गुप्तारसिंह (जिला राय बरेली)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में जनवरी, १९५८ से १२ अगस्त, १९६० तक रिवाल्वरों, पिस्टलों, बन्दूकों के क्रमशः कितने लाइसेन्स दिये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—राय बरेली जिले में जनवरी, १९५८ से १२ अगस्त, १९६० तक १० रिवाल्वर, ७ पिस्टल एवं ३७४ बन्दूकों के लाइसेंस दिये गये।

*८—श्री गुप्तारसिंह—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९५९ से अगस्त, १९६० तक रायबरेली में रिवाल्वरों, पिस्टलों और कारतूसी बन्दूकों के लिये कितने प्रार्थना-पत्र क्रमशः सरकार को दिये गये ? उनमें से नामंजूर हुये प्रार्थना-पत्रों की संख्या क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जनवरी, १९५९ से १२ अगस्त, १९६० तक जिले में रिवाल्वरों, पिस्टलों व कारतूसी बन्दूकों के लिये क्रमशः २७, ८ व २४२ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से रिवाल्वरों के ८, पिस्टलों के ३ एवं कारतूसी बदूकों के १५४ प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत हुए।

श्री गुप्तारसिंह—अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ भ्रम मालूम होता है। जनवरी, १९५८ से सन् १९६० तक तो १० रिवाल्वर हैं और जनवरी, १९५९ से १२ अगस्त, १९६० तक २७ में ८ खारिज किये गये तो १९ हैं तो सही रिपोर्ट क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने प्रश्न समझा नहीं, क्या इसमें विरोध है।

श्री गुप्तारसिंह—जनवरी, १९५९ से १२ अगस्त, १९६० तक १० रिवाल्वर ऊपर के प्रश्न में बताया है और जनवरी, १९५९ में १ साल उससे कम हुआ अगर अधिक होता तो ठीक है और वही १२ अगस्त, १९६० तक २७ में ८ खारिज किये हैं तो १९ रिवाल्वर्स के लाइसेंस कैसे हो गये ?

श्री अध्यक्ष—१९ का क्या हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, कुल जो दरख्वास्तें आयी थीं वह रिवाल्वर के लिए ४४ थीं जिनमें से १० मंजूर हुईं, २९ अस्वीकृत हुईं और ५ पर विचार हो रहा है। पिस्टल के लिये १७ दरख्वास्तें आयीं जिनमें से ७ मंजूर हुईं और १० नामजूर हुईं। बन्दूक के लिये ६२६ दरख्वास्तें थीं जिनमें से ३७४ मंजूर हुईं, २३१ अस्वीकृत हुईं और २१ पर विचार हो रहा है। यह पोजीशन है।

श्री गेंदासिंह—मंत्री जी बतायेंगे कि कुछ परसेंटेज भी मुकर्रर है जिलों के लिये ? २३१ तो खारिज कर दीं और २१ पर सिर्फ विचार हो रहा है, तो कितनी दरख्वास्तें खारिज करें इसका कुछ परसेंटेज है ? इस तरह से सख्ती के साथ दरख्वास्तें खारिज न करें इस तरह के आदेश सरकार ने भेजे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोई परसेंटेज तो निर्धारित नहीं है। लेकिन यह आदेश जरूर भेजे गये हैं कि लाइसेंसेज के देने में, खासकर बन्दूकों के लाइसेंसेज में थोड़ी उदारता से काम लिया जाय और जो पुराने नियम रहे हैं जिनमें मालगुजारी, इन्कम टैक्स या लगान देने की शर्तें रही हैं उनका कड़ाई से पालन न किया जाय लोगों के सोशल स्टेटस, उनकी समाज सेवा को देख कर भी लाइसेंस जरूर इश्यू किये जायं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—मंत्री जी ने जो नियमों की बात कही, क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि इतने कड़े नियमों में कुछ तरमीम की जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आर्म्स ऐक्ट भारत सरकार का है और उससे प्रादेशिक सरकारों का सम्बन्ध नहीं है। लेकिन यह सूचना दे सकता हूं कि आर्म्स ऐक्ट में भारत सरकार ने संशोधन किये हैं और पार्लियामेंट में अभी बिल पेश हुआ था उस पर कुछ कार्यवाही हुई है। उस सम्बन्ध में उन्होंने जो हमसे राय मांगी थी वह हमने दे दी थी। अब जो कुछ ऐक्ट बना होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी।

*९–१०—**श्री रघुवीरराम** (जिला गाजीपुर)—[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया]।

देवरिया जिले में कोतवाली तथा बरहज थाना क्षेत्रों में विभिन्न अपराध की घटनायें

*११—**श्री उग्रसेन**—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि १ जनवरी, १९६० से १ अगस्त, १९६० तक देवरिया जिले के अन्तर्गत कोतवाली (देवरिया) तथा बरहज थाने में (अ) कितनी डकैतियां पड़ीं, (ब) कितने कत्ल हुये, (स) कितनी चोरियां हुईं, (द) दफा १०९ व दफा ११० सी० आर० पी० सी० में कितने व्यक्तियों के चालान हुये ?

श्री रामस्वरूप यादव—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७५८ पर)

श्री उग्रसेन—जो एक डकैती कोतवाली देवरिया में पड़ी वह कहां पड़ी और उसका क्या संक्षिप्त विवरण है ?

श्री रामस्वरूप यादव—थाना, कोतवाली देवरिया में एक डकैती की घटना हुई। दिनांक २३–२४, १९६० की रात में ग्राम बैकुंठपुर में श्री किशुन कलवार पर १५, १६ डाकुओं ने जो बन्दूक व लाठी से सुसज्जित थे डाका डाला। ३,२८२ रुपये की सम्पत्ति लूटी गयी।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जो बैकुंठपुर है वह बिहार और देवरिया की सीमा पर है और इसी क्षेत्र में ग्राम कोठी और गौर कोठी में दो बार डकैतियां पड़ी हैं इस अवधि में ? माननीय मंत्री इसे रोकने के लिये क्या प्रबन्ध कर रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—वहां पर गश्त लगाई जाती है। कुछ पी० ए० सी० के लोग भेज दिये हैं। माननीय सदस्य ने जो बतलाया कि और डकैतियां पड़ी तो मैं इसे स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं लेकिन यह देखते हुए कि बोर्डर है, जो मुनासिब चीज होती है तो उसका प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बरहज थाने में एक विधवा को कत्ल करके नदी में फेंक दिया गया और उस थाने में रिपोर्ट तक नहीं लिखी गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसी किसी शिकायत का ज्ञान इस वक्त नहीं है। अगर कोई ऐसी शिकायत लिखित आये तो देख ली जायगी।

बुलन्दशहर डिपो को मेरठ रोडवेज रीजन में लेना

*१२—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय रोडवेज, आगरा डिवीजन से बुलन्दशहर भाग को अगस्त, १९६० में निकाल कर मेरठ नगर में क्यों मिलाया गया है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी नहीं । बुलन्दशहर डिपो सन ५७ से ही मेरठ रीजन का एक भाग है ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि बुलन्दशहर डिपो कभी आगरा डिवीजन का भाग रहा था या नहीं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी हां, पहले था ।

परसितपुर के हरिजनों का कथित प्रार्थना-पत्र

*१३—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम परसितपुर, थाना पहाड़ी, जिला बांदा के हरिजनों ने मई या जून, १९६० में मुख्य मंत्री को इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया है कि उस गांव के सवर्ण हिन्दुओं ने उनको कुयें से पानी भरने से मना कर दिया है जिससे उन्हें गांव के बाहर से पानी भरने जाना पड़ता है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जी नहीं । उक्त आशय का प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

*१४—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रार्थना-पत्र में यह भी शिकायत की गई है कि सवर्ण हिन्दुओं द्वारा हरिजनों की बहू, बेटियों को भी अपमानित किया जाता है ? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री उग्रसेन—उन्हें इस बात का खयाल है कि उनके दफ्तर में कई बार वहां के हरिजनों ने तमाम हरिजन बस्तियों के रहने वालों की तरफ से आवेदन-पत्र दिया और उस पर माननीय मंत्री जी ने एक पत्र लिखा कि कार्यवाही हो रही है, फिर किस आधार पर वे कह रहे हैं कि कोई आवेदन-पत्र नहीं मिला ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—माननीय सदस्य जो कुछ कहते हैं वह सही नहीं है ।

दुल्लहपुर तथा सागापाली ग्रामों की डकैतियां

*१५—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजीपुर जिले के दुल्लहपुर ग्राम में अगस्त माह में कोई डकैती हो गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां । १–२ अगस्त, १९६० की रात्रि में उक्त ग्राम में एक डकैती पड़ी थी । मामले की जांच हो रही है और अब तक ५ डाकू पकड़े जा चुके हैं ।

*१६—श्री यमुनासिंह—क्या यह सही है कि गाजीपुर जिले के कासिमाबाद थाने के सागापाली ग्राम में अगस्त, १९६० में कोई डकैती पड़ गई है जिसमें एक व्यक्ति का कत्ल भी हो गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां । २०–२१ अगस्त, १९६० की रात्रि में उक्त ग्राम में एक डकैती पड़ी जिसमें एक व्यक्ति डाकुओं द्वारा मारा गया । मामले की जांच हो रही है और अब तक ८ डकैत पकड़े जा चुके हैं ।

श्री यमुनासिंह—क्या सरकार बतायेगी कि इन डकैतों का स्थानीय कोई गोल है या वे बाहर से आया करते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने निवेदन किया कि जांच जारी है और कुछ लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष—वह जानना चाहते हैं कि उस जिले के ही लोग हैं या बाहर से आया करते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—उनकी सकूनत तो इस वक्त श्रीमन्, मेरे पास नहीं है ।

श्री यमुनासिंह—क्या सरकार ऐसी परिस्थिति में उक्त स्थान पर पुलिस चौकी स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—फिलहाल मौके पर एक हेड कांस्टेबिल और तीन कांस्टेबिलों की एक चौकी अस्थायी रूप से दुल्लहपुर गांव के पास कायम कर दी गयी है ।

देवरिया जिले में बिहार सीमावर्ती क्षेत्र में डकैतियां तथा चोरियां

*१७—**श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में बिहार सीमावर्ती क्षेत्र में गत ८ माह में (१५ अगस्त, १९६० के पहले) कितनी डकैतियां व चोरियां हुई हैं तथा उनकी रोकथाम के लिये सरकार ने कौन से ठोस कदम उठाये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस अवधि में ४ डकैतियां तथा २७ चोरियां हुई । डकैती व चोरी की रोकथाम के लिये पुलिस सतर्क है और सीमा पर सशस्त्र पुलिस गश्त करती है, इसके अतिरिक्त अन्य की गई कार्यवाही को बताना जनहित में न होगा ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पुलिस गश्त हो रही है सीमा पर, वह स्थायी है या अस्थायी है, और अगर अस्थायी है ? तो सरकार स्थायी व्यवस्था क्या करने जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, स्थायी है और जब तक जरूरी समझा जायगा तब तक रखा जायगा ।

श्री गेंदासिंह—जिन हथियारों को लेकर पुलिस सीमावर्ती क्षेत्र की हिफाजत करती है उससे कुछ कम हो हथियार वहां के शरीफ लोगों को दे कर वहां के लोगों को इस भय से छुड़ाने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सुझाव अच्छा है, सरकार इस पर जरूर विचार करेगी ।

श्री उग्रसेन—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार सीमा क्षेत्र में वहां की सरकार ने कम से कम ५० पुलिस कांस्टेबिल, ४–६ हेड कांस्टेबिल, २ डी-वाई-एस-पी. और ४६ थानेदारों को लगाया है डकैतियों को रोकने के लिये और उनके दबाव की वजह से वे डाक भाग कर इधर आते हैं और देवरिया में डाका डालते हैं ? इसके लिये माननीय मंत्री जी कौन से विशेष प्रबन्ध करने जा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मालूम नहीं, इस दबाव से भाग कर उधर से आते हैं या किस वजह से आते हैं लेकिन हमारी सीमा की सुरक्षा होनी चाहिये और सीमा के इस पार का जो हमारे प्रदेश का क्षेत्र है उसकी रक्षा होनी चाहिये । उसके लिये पी० ए० सी० वगैरह भेज दी गयी है । अभी माननीय सदस्य ने बताया कि उधर बहुत तैयारी की गयी है, देख लेंगे और जो मुनासिब कार्यवाही होगी वह की जायगी ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसे बुलन्दशहर के कुछ विशेष गांवों में सामूहिक हथियार दिये गये हैं उस तरह की योजना बार्डर के १०–१५ गांवों में लागू करने की सरकार सोच रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस सम्बन्ध में सरकार के आदेश हैं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये । माननीय सदस्य का सहयोग प्राप्त हो और वहां के स्थानीय लोग इसमें अधिक रस लें तो यह व्यवस्था अच्छी है, इससे अधिक लाभ पहुंच सकता है ।

*१८–१९—**श्री हरदयालसिंह** (जिला शाहजहांपुर)—[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

गोरखपुर जिले से राजनीतिक पीड़ितों की लड़कियों की शादी में सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र

*२०—**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९६० से लगायत ३० जून, १९६० तक गोरखपुर जिले के कितने राजनीतिक पीड़ितों ने लड़कियों की शादी में आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र दिये थे ?

गृह मंत्री के सभा सचिव (श्री इस्तफा हुसैन)—६ प्रार्थना-पत्र कार्यालय में प्राप्त हुए ।

*२१—**श्री गौरीराम गुप्त**—उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों में से कितने स्वीकृत तथा कितने अस्वीकृत हुये ?

श्री इस्तफा हुसैन—दो प्रार्थना-पत्र स्वीकृत तथा दो अस्वीकृत किये गये ।

श्री गौरीराम गुप्त—जो ६ प्रार्थना-पत्र कार्यालय में दाखिल हुये उनमें से दो तो स्वीकृत हुये और दो अस्वीकृत हुये, तो बाकी दो का क्या हुआ और जिन लोगों के स्वीकृत और अस्वीकृत हुए उनके नाम क्या हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन—जो ६ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये उनके नाम इस प्रकार हैं—पारसनाथ राय, रामबली मिश्र, विश्वनाथ सिंह, रामकृपाल गुप्त, भग्गू हरिजन, कथवारू कहार । जिन दो के प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत हुये उनके नाम हैं विश्वनाथ सिंह और रामकृपाल गुप्त । जो दो स्वीकृत हुये उनके नाम हैं पारसनाथ राय और रामबली मिश्र । शेष दो के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ।

श्री गौरीराम गुप्त—जो दो अस्वीकृत हुये उनको रुपया नहीं दिया, इसका क्या कारण है ?

श्री इस्तफा हुसैन—श्री विश्वनाथ सिंह की दरख्वास्त इसलिये खारिज हुई कि उन्होंने लड़की की शादी के लिये दरख्वास्त दी थी जिसकी उम्र १२ साल है और हिन्दू मैरिज ऐक्ट के कारण कोई सहायता उनको नहीं दे सकते हैं । श्री रामकृपाल गुप्त की इसलिये खारिज हुई कि उनकी आमदनी ३०० रुपये माहवार है और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है ।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि श्री रामबली मिश्र को कितनी सहायता दी गई है और क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जेल गये हैं और सर्वोदय में काम करते हैं । उनको कन्या के विवाह के लिये ५०० रुपये की सहायता दी गई है ।

जिला मनोवैज्ञानिक केन्द्र, वाराणसी के स्थानान्तरण का आदेश

*२२—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या वह सत्य है कि २७ जुलाई, १९६० को जिला मनोविज्ञान केन्द्र, वाराणसी जिस मकान में है, उस मकान का एक कमरा ध्वस्त हो गया और एक चौकीदार को सख्त चोट आयी है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जी हां, गत २७ जुलाई को मनोवैज्ञानिक केन्द्र, वाराणसी के एक कमरे की छत पर जाते समय चौकीदार का पैर छत में धंस गया और उसे चोट आयी ।

*२३—श्री गौरीशंकर राय—क्या यह भी सत्य है कि उक्त मनोविज्ञान केन्द्र के लिये भदैनी, वाराणसी में एक नये भवन का निर्माण हो गया है ? अगर हां, तो उक्त केन्द्र को नये भवन में स्थानान्तरित करने में क्या कठिनाई है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जी हां, इस केन्द्र के निमित्त एक नए भवन का निर्माण हुआ था किन्तु वह भवन वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय को दे दिया गया है ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार को ज्ञात है कि मनोवैज्ञानिक केन्द्र के इंचार्ज ने और पी० डब्ल्यू० डी० के लोगों ने यह राय दी थी कि यह भवन किसी भी समय ध्वस्त हो सकता है तो ऐसा फैसला क्यों नहीं लिया गया कि ऐसी जगह इसको न रखा जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अब इसकी सूचना तो मुझे नहीं है कि पी० डब्ल्यू० डी० के लोगों ने रिपोर्ट भेजी थी लेकिन मकान बदलने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री जी को जानकारी है कि यह भवन जिसमें मनोवैज्ञानिक केन्द्र का काम चल रहा है वह किसी काशीवासी उच्चतम पदासीन अधिकारी के संबंधी का मकान है इसलिये वहां से यह केन्द्र नहीं हटाया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—किसी के संबंधी का मकान होना और सरकारी दफ्तर होना कोई अनुचित बात नहीं है लेकिन जहां तक खराब होने का सवाल है मेरे पास रिपोर्ट यह है कि इस मकान को छोड़ने और केन्द्र के हटाये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सत्य है कि २७ अगस्त के बाद इस मकान के गिरने की दुर्घटना हो चुकी है और पी० डब्ल्यू० डी० के लोगों ने कहा है कि यह खतरनाक हालत में है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पी० डब्ल्यू० डी० के अधिकारियों ने क्या कहा मेरे पास इस की सूचना नहीं है लेकिन यह जरूर है कि इसे बदलने की चेष्टा की जाय और मकान बदलना आसान नहीं होता है । जैसे ही कोई मकान मिलेगा बदल दिया जायगा ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्र के लिये सरकार की ओर से कोई इमारत बनाई गई है ? अगर बनाई गई है तो उसमें यह केन्द्र क्यों नहीं ले जाया जा रहा है और किसी दूसरी इमारत की क्यों तलाश की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इमारत बनाई गई थी और वह वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय को दे दी गयी । जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो बिना मूल्य के यह इमारत दे दी गई । दूसरी इमारत बनाने के लिये रुपया रखा गया है । वह बन जायगी ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस भवन म मनोवैज्ञानिक केन्द्र है उसका किराया कितना दिया जाता है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—डेढ़ सौ रुपया मासिक दिया जाता है ।

संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र में विभिन्न अपराध की घटनायें

*२४—**श्री गयाप्रसाद** (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला प्रतापगढ़ के अन्तर्गत थाना संग्रामगढ़ में जनवरी, १९५९ से जुलाई, १९६० तक कितनी चोरी व डकैती तथा कत्ल हुये ? उनकी क्रमशः अलग-अलग संख्या क्या है तथा उनमें से कितने मुकद्दमे चलाये गये तथा उनमें कितने न्यायालय से निर्दोष प्रमाणित हुये व कितनों में पुलिस ने सफलता प्राप्त की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वांछित सूचना संलग्न† तालिका में दी हुई है।

यातायात के लिये प्रथक् कुमायूं रीजन

*२५—**श्री प्रतापसिंह** (अनुपस्थित)—परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुमाऊं का यातायात के हिसाब से सरकार अलग रीजन बनाने जा रही है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जायेगा ?

डाक्टर सीताराम—जी हां। प्रथक् कुमायूं रीजन स्थापित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

आजमगढ़ जिले की डकैतियों में हताहत

*२६—**श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित) तथा **श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि १ जुलाई, १९६० से २० अगस्त, १९६० तक आजमगढ़ जिले में (क) कितनी डकैतियां पड़ीं, इसमें कितनी सशस्त्र थीं और कितने लोग हताहत हुये, (ख) कितनी हत्यायें हुईं ?

श्री रामस्वरूप यादव—(क) चार डकैतियां पड़ीं जिनमें दो सशस्त्र थीं और हताहत व्यक्तियों की संख्या आठ थी।

(ख) एक।

श्री विश्रामराय—क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यह डकैतियां कहां-कहां पड़ीं और कितना सामान लूटा गया और उनमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव—पहली डकैती २५/२६ जुलाई, १९६० को रात्रि में ग्राम सुल्तानीपुर, थाना चिरैयाकोट में एक सशस्त्र डकैती के रूप में श्री भगवत राय के मकान पर पड़ी। डकैतों और सुरक्षा समिति के सदस्यों में मुठभेड़ हुई जिसमें ७ ग्रामीणों के चोटें आयीं। कुल मिलाकर १३ अपराधी अभी तक पकड़े जा चुके हैं।

दूसरी डकैती १४ अगस्त, १९६० को दोहरीघाट क्षेत्र में रात्रि के लगभग आठ बजे हुई जब कि वादी श्री मेल्हू साहू, गोड़ा बाजार करके अपने घर वापस जा रहा था। पांच व्यक्तियों ने उसकी साइकिल छीन ली। शोर मचाने पर सुरक्षा समिति के सदस्य स्थल पर पहुंचे और एक डकैत को साइकिल सहित पकड़ लिया गया। पांच अपराधियों में से ३ जेल में हैं और शेष दो को पकड़ने के प्रयत्न जारी हैं।

तीसरी डकैती दिनांक १८–१९ अगस्त, १९६० की रात्रि में वृन्दा बाजार, थाना गंभीरपुर में सशस्त्र डकैती के रूप में पड़ी। इस डकैती का काफी सामान बरामद हो चुका है और ८ व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं।

---

†तालिका छापी नहीं गयी।

चौथी डकैती दिनांक १८–१९ अगस्त, १९६० की रात्रि में ग्राम कोडिया बिन्दा उर्फ युवाली, थाना कोतवाली में पड़ी जिसमें एक व्यक्ति को साधारण चोट आयी। डकैती का लगभग सभी सामान बरामद किया जा चुका है और ८ व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये हैं।

माडेल स्कूलों के अध्यापकों को स्थायी करने की प्रार्थना

*२७—**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में माडेल स्कूलों में जो अध्यापक १९५२ से कार्य कर रहे हैं, उनको अब तक स्थायी न करने के कौन-कौन से कारण हैं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—स्थाई रिक्तियों का देर से उपलब्ध होना।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माडल स्कूलों के जो अध्यापक अब तक अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं उनको स्थायी करने की व्यवस्था कब तक हो जायगी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—प्रश्नकर्ता ने जो सन् १९५२ लिखा है, उस वक्त १२९ अध्यापक अस्थायी थे। उसके बाद ११० रिक्तियां हुईं, और १२९ में से ११० स्थायी किये गये। बाकी रिक्तियां होने वाली हैं, और उन १९ को भी स्थायी किया जायगा।

*२८—**श्री श्रीनाथ** (जिला आजमगढ़)—[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

तुपट्टी भदुअवा ग्राम में कुयें से स्त्री की लाश की बरामदगी

*२९—**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)—गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ८/९ अगस्त, १९६० की रात को ग्राम तुपट्टी भदुअवा, थाना कसिया, जिला देवरिया, के एक कुयें में किसी स्त्री की लाश पाई गई ? यदि हां, तो उसके मृत्यु का क्या कारण है और उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। मृत्यु का सही कारण पोस्टमार्टम से भी पता नहीं चला। जांच जारी है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या गृह मंत्री को यह मालूम है कि यह औरत नैहर से अपनी ससुराल कुछ व्यक्तियों के साथ जा रही थी और रास्ते में मार कर कुएं में डाल दी गयी, और जवाब यह मिला है कि पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट से मृत्यु के कारण का पता नहीं चलता, तो पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट का विवरण सुना दें ?

श्री रामस्वरूप यादव—अब तक शव की पहचान नहीं हो सकी है और पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट यह है—

"The body is so highly advanced in decomposition and maggots eaten that it is not possible to give the exact cause of death."

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार को यह सूचना है कि ग्राम महासूल का बाबूराम नामक व्यक्ति जिसकी यह औरत थी, रिपोर्ट लिखाने थाने में गया, तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह अगर शिकायत लिखित दे दी जायगी तो यह जानकारी करा ली जायगी।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार को यह भी मालूम है कि ग्राम महासूल का एक व्यक्ति जिसका नाम रामनरेश था, उसको गांव वालों ने कत्ल के जुर्म में पकड़ कर थाने में भेज दिया और ११ दिन तक वह थाने में रखा गया, उसके ऊपर कोई एन्क्वायरी नहीं हुई और श्रीमन्, दरोगा ने रुपया लेकर इस केस को खत्म कर दिया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मालूम तो सरकार को यह सब कुछ नहीं है। यदि माननीय सदस्य ने कुछ सूचना दे दी होती तो इसकी जांच की जाती। मेरे पास तो जो रिपोर्ट है वह यह है कि उस गांव के चौकीदार ने यह खबर दी कि इस कुएं में मालूम होता है कि कोई लाश है और तुरन्त दरोगा वहां पहुंचे। उन्होंने उसको निकाला और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिये भेजा।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि नहीं कि एक मुलजिम गांव वालों ने पकड़ कर कोतवाली में पेश किया और वह ११ दिन तक वहां बन्द रहा ? यह सही है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आप पुनः प्रश्न कर दें तो इसकी जांच करके रिपोर्ट मंगा लूं। यह बात तो इसमें नहीं है।

विलोवी, डिप्टी कमिश्नर, लखीमपुर के कातिल श्री नसीरउद्दीन के भाइयों को पेंशन

*३०—**श्री शिवप्रसाद नागर**—गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्वतंत्रता संग्राम के पीड़ित सैनिक, जिनको विलोवी नाम के अंग्रेज, जिलाधीश, खीरी, को कत्ल कर देने के फलस्वरूप फांसी की सजायें हो गई थीं, उनके परिवारों को कोई पेंशन मिल रही है ? यदि हां, तो किन-किन परिवार वालों को मिल रही है ?

श्री इस्तफा हुसैन—केवल स्वर्गीय श्री नसीरुद्दीन के तीन भाइयों, श्री मोहम्मद हुसैन, श्री अहमद हुसैन और श्री तजम्मुल हुसैन, प्रत्येक को २० रु० मासिक आजीवन राजनैतिक पेन्शन मिल रही है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि विलोवी डिप्टी कमिश्नर अंग्रेज जिसका कि सन् १९२२ में लखीमपुर खीरी में कत्ल किया गया था उसमें तीन मुलजिमों को फांसी की सजा हुई थी ? तो सिर्फ एक मुलजिम के परिवार को ही पेंशन क्यों मिल रही है और दो को क्यों नहीं मिल रही है ? इसका क्या कारण है ?

श्री इस्तफा हुसैन—यह सही है कि विलोवी जिलाधीश जो वहां के थे उनके कांड में नसीरुद्दीन, बशीर, मुश्ताक अली इन तीन व्यक्तियों ने उनको कत्ल किया था जिसमें सिर्फ नसीरुद्दीन के तीन भाइयों को पेंशन मिल रही है। बाकी को क्यों नहीं मिल रही है, उसके कारण इस प्रकार हैं—बशीर के भाई एक जो जिन्दा हैं वह रेलवे में मुलाजिम हैं। मुश्ताक अली के दो भाई थे। एक तो घूरे साहब थे वह पाकिस्तान चले गये। इसलिए उनको पेंशन देने का सवाल नहीं उठता है। अल्ताफ हुसैन साहब की दरख्वास्त विचाराधीन है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिनके पेंशन की ऐप्लीकेशन विचाराधीन है उनकी ऐप्लीकेशन पर कब तक विचार पूर्ण हो जायगा और उनकी पेंशन कब तक दी जाने लगेगी ?

श्री इस्तफा हुसैन—मेरा खयाल है कि बहुत जल्द इस पर फैसला हो जायगा।

मुबारकपुर जूनियर हाई स्कूल को मान्यता देने की प्रार्थना

*३१--श्री विश्रामराय--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि कस्बा मुबारकपुर, जिला आजमगढ़ में जूनियर हाई स्कूल गत कई वर्षों से चल रहा है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--जी हां ।

*३२--श्री विश्रामराय--यदि हां, तो सरकार कृपया बतायेगी कि क्या इस स्कूल को स्थायी मान्यता के लिये गत कई वर्षों से प्रार्थना-पत्र देते रहने के बावजूद अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--स्कूल को स्थाई मान्यता दिये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र पहले पहल मार्च, १९५९ में प्राप्त हुआ था और उस पर जांच करने के उपरान्त कुछ विशेष त्रुटियों के कारण स्थायी मान्यता नहीं प्रदान की गई ।

*३३--श्री विश्रामराय--क्या गृह मंत्री कृपया इस सम्बन्ध में जांच कराने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त स्कूल की स्थायी मान्यता के मिलने में क्यों विलम्ब हुआ है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--स्थायी मान्यता न देने का कारण विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को पूरा न करना है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन से प्रतिबन्ध थे या निर्धारित प्रतिबन्धों में से वह कौन सी शर्तें थीं जिनको इस विद्यालय ने पूरा नहीं किया ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--एक तो यह कि विज्ञान की कक्षा की पढ़ाई का वैसा उचित प्रबन्ध नहीं है, दूसरे वहां शिक्षण सामग्री और अध्यापक कम हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यह जूनियर स्कूलों में विज्ञान का पठन-पाठन क्या सरकार अनिवार्य रूप से समझती है कि होना आवश्यक है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--मान्यता के लिये जो चीज आवश्यक है वह होनी चाहिए ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विज्ञान की शिक्षा के लिए कितने रुपये का सामान चाहिए ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--जो मेरे पास सूचना है उसके अनुसार विद्यालय ने विज्ञान की शिक्षा के सामान का तो प्रबन्ध कर लिया है लेकिन दूसरा प्रबन्ध अभी अधूरा है ?

श्री रामसुन्दर पांडेय--सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि उस स्कूल में शिक्षा देने के सारे सामान भी मौजूद हैं, जिस प्रकार से विज्ञान के लिये माननीय मन्त्री जी ने कहा है उसी प्रकार से सारे प्रबन्ध उसके पूरे हैं फिर भी कुछ राजनीतिक कारणों से उसे मान्यता देने में ढिलाई की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी कोई सूचना माननीय सदस्य दे दें तो उसको मैं देख लूं । यहां किसी को राजनीतिक कारणों से मान्यता न दी जाय और सारा प्रबन्ध हो यह अनुचित बात है और ऐसा नहीं होना चाहिये ।

जाति के नाम पर चलने वाली शिक्षा संस्थाओं को सहायता न देने का सुझाव

*३४--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार के पास हाल में ऐसे सुझाव आये हैं कि जो सरकार से सहायता प्राप्त स्कूल जाति के नाम से चलाये जा रहे हैं और प्रबन्ध कमेटियों में उसी एक जाति के सदस्य हैं, ऐसे स्कूलों की सहायता बन्द कर दी जाय ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--जी हां।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो सरकार के पास सुझाव आये हैं कि जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं यदि वे जाति के नाम से चलाये जाते हैं और उसकी प्रबन्ध समिति में उसी एक जाति के लोग हैं तो क्या इसके मुताल्लिक सरकार ने फैसला किया है कि इनको सहायता न दी जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सरकार की नीति यह है कि केवल जाति, मजहब और धर्म के नाम पर जो स्कूल चलाये जायं और दूसरी जाति, मजहब और दूसरे धर्म में विश्वास रखने वालों के ऊपर प्रतिबन्ध लगाये जायं अध्यापकों की नियुक्ति में या विद्यार्थियों की भरती पर, तो ऐसे स्कूलों को सहायता देना सरकार की नीति के विरुद्ध है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि यह जो सुझाव सरकार के पास इस पर आये हुये हैं कि जाति के स्कूल या प्रबन्ध समिति में एक जाति के लोग हों तो उनको सहायता न दी जाय ? यह सुझाव किन संस्थाओं की ओर से आये हैं और कहां से आये हैं ?

श्री अध्यक्ष--आप प्रान्त भर के पूछना चाहते हैं ?

श्री मोतीलाल अवस्थी--मुख्य मुख्य संस्थाओं को ही बतला दिया जाय।

श्री दीनदयालु शास्त्री--केवल मेरठ के एक सज्जन महेश प्रकाश की तरफ से यह सुझाव आया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह किसी एक सज्जन ने जो सुझाव भेजा है, यह केवल उन्हीं का सुझाव है जिसके आधार पर यह कदम उठाया जा रहा है अथवा सरकार ने एक नीति निर्धारित की है इसलिये ऐसा कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस दिशा में सरकार का कदम बहुत पहले से उठा हुआ है, आज उठाने का कोई प्रश्न नहीं है। नीति यह है कि यदि किसी स्कूल के साथ किसी जाति का, किसी धर्म का नाम लगा हुआ है जैसे 'दयानन्द ऐंग्लो वैदिक' इस प्रकार का नाम लगा हुआ हो और वहां की प्रबन्ध समितियों में मेम्बरों के लिये यह प्रतिबन्ध हो कि एक ही जाति और धर्म के लोग रह सकते हैं या इस प्रकार का प्रतिबन्ध हो जो दूसरे धर्म तथा जाति वाले लोगों के विरुद्ध हो तो ऐसी संस्था की सहायता नहीं करना सरकार की नीति है और उसमें हम सहायता नहीं करते।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो सरकार का कदम बहुत पहले से उठा हुआ है वह उठा ही रहेगा या उठकर कहीं रखा जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कदम उठ चुका है और बहुत आगे भी बढ़ चुका है।

श्री शिवप्रसाद नागर--वह कहां रखा गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वह बहुत दूर पहुंच चुका है।

श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)-- क्या सरकार इस विषय पर विचार करेगी कि जिन कमेटियों ने सदस्यता के ऊपर प्रतिबन्ध कर रखा है कि एक ही जाति के सदस्य हो सकते हैं तो क्या वह ऐसी संस्थाओं के अनुदान बन्द कर देगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसी किसी संस्था की अगर सूचना मिले और उसमें यह विदित हो कि केवल प्रबन्ध समिति को ऐसे ही लोग चलायें जो एक जाति या बिरादरी के हों तो उस पर सरकार अवश्य विचार करेगी।

नोट--तारांकित प्रश्न ३४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

कुमायूं क्षेत्र में पढ़ाई की अवधि कम होना

*३५--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को ज्ञात है कि कुमायूं के उन क्षेत्रों में जहां शीतकालीन लम्बी छुट्टियां (winter vacation) अनिवार्यतः होती हैं वहां पढ़ाई वर्ष में केवल चार, पांच महीने हो पाती हैं, जिस से परीक्षाफल पर बुरा प्रभाव पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार इस स्थिति का निराकरण करने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं।

कुमायूं क्षेत्रों में स्थित डिग्री कालेज के अतिरिक्त सभी विद्यालय ४०० मीटिंग प्रति वर्ष खुले रहते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

*३६--श्री कल्याणचन्द मोहिले--[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

थाना हल्का घरोर में कथित लाशों का मिलना

*३७--श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)--सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला मैनपुरी, थाना हलका घरोर में २९/३०-८-६० को ५ या ६ लाशें मनुष्यों की पाई गईं ? यदि हां, तो वे मौतें किन कारणों से हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं।

*३८--श्री रामदीन--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त लाशों में एक लाश महिला की भी थी तथा उस महिला की लाश पर से कुछ व्यक्ति जेवरात उतार ले गये और लाश को वहीं पड़ी छोड़ गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--प्रश्न नहीं उठता।

*३९--श्री रामदीन--क्या यह सत्य है कि उक्त घटना-स्थल पर पुलिस द्वारा कोई जांच नहीं की गई तथा लाशें वहीं सड़ गईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--प्रश्न नहीं उठता।

*४०--श्री कल्याणचन्द मोहिले--[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

शहीद मधुबन करामद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खौरी बारी सम्बन्धित स्मृतिपत्र

*४१--श्री उग्रसेन--गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या शहीद मधुबन करामद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खौरी बारी, जिला देवरिया के किसी प्रतिनिधि मंडल ने उससे मिल कर विद्यालय के संबंध में दिनांक ९ सितम्बर, १९६० को एक स्मृति-पत्र दिया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां।

*४२--श्री उग्रसेन--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त स्मृति-पत्र की मांगों के संबंध में उन्होंने क्या किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--संयुक्त शिक्षा निदेशक से रिपोर्ट मांगी गई है।

*४३-४४--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*४५-४६—श्री गयाबख्शसिंह (जिला सुल्तानपुर)—[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*४७—श्री ऊदल—[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

बढ़या निवासी बच्चन कुर्मी की आत्म हत्या

*४८—कुंवर श्रीपालसिंह—सी० ओ० सर्किल निजामाबाद के ग्राम बढ़या, जिला आजमगढ़ के बच्चन कुर्मी नामक व्यक्ति की आत्महत्या के संबंध में ८ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २२ के उत्तर के क्रम में गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस में भी दर्ज कराई गई है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। चौकीदार ने थाने पर आत्महत्या की सूचना दी थी।

*४९-५०—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

राजकीय बालिका विद्यालय, लखीमपुर की उन्नति पर विचार

*५१—श्री शिवप्रसाद नागर—गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजकीय बालिका विद्यालय, लखीमपुर खीरी में जो जूनियर हाई स्कूल है उसको हायर सेकेंड्री स्कूल बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसके कब तक कार्यान्वित होने की आशा है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में १० राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूलों का उच्चीकरण करने का विचार है। लखीमपुर खीरी के राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल पर भी इस संबंध में विचार होगा। यदि यह विद्यालय उपर्युक्त १० विद्यालयों में चुन लिया जायेगा तो इसका भी उच्चीकरण तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में हो जायेगा।

*५२—श्री शिवप्रसाद नागर—[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

बुलन्दशहर जिले में राजनीतिक पीड़ितों के आश्रित छात्रों को छात्रवृत्ति

*५३—कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर जिले से राजनीतिक पीड़ितों के आश्रित छात्रों की छात्रवृत्ति के लिये जुलाई, अगस्त १९६० में कक्षा ५-६-१०-११ और बी० ए० के छात्रों के कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये? क्या सरकार कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रक्खेगी तथा बतायेगी कि उन पर क्या कार्यवाही हुई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जुलाई और अगस्त, १९६० में १२ छात्रों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं जो अभी विचाराधीन हैं। सूची (परिशिष्ट 'क') सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७५९ पर)

*५४—श्री गोविन्दसिंह विष्ट, श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल (जिला रायबरेली), श्री शिवराम (जिला बिजनौर) तथा श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*५५—श्री मदन पांडेय—[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

द्वाराहाट हाई स्कूल के कर्मचारियों को हिल एलाउन्स न मिलना

*५६—श्री हरिदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि राजाज्ञा (जी० ओ०) नं० A-4212/XV—845-1945, दिनांक ३१ जुलाई, १९४६ के अनुसार, द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा में जो मिडिल स्कूल खुला और जो बाद में हाई स्कूल हो गया उसके कर्मचारियों और अध्यापकों को जो हिल एलाउन्स मिलना चाहिये था वह न मिला और न मिल रहा है? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार शीघ्र ही ऐसी व्यवस्था करेगी कि उक्त हिल एलाउन्स उपर्युक्त कर्मचारियों और अध्यापकों को मय एरियर्स के मिल जावे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्र की जा रही है।

कानपुर रोडवेज क्षेत्र में ट्रैफिक इन्सपेक्टरों के विरुद्ध शिकायतें

*५७—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज क्षेत्र, कानपुर में काम करने वाले कितने सहायक ट्रैफिक इंस्पेक्टरों के विरुद्ध १९५९ में भ्रष्टाचार तथा अन्य प्रकार की शिकायतें आई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

डाक्टर सीताराम—६ सहायक ट्रैफिक इंस्पेक्टरों के विरुद्ध आवश्यक जांच-पड़ताल करने के बाद इन में से तीन निर्दोष पाये गये, दो को कड़ी चेतावनी दी गई कि वे भविष्य में जनता से नम्रतापूर्ण व्यवहार करें और एक के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की जा रही है।

कानपुर तथा इटावा रोडवेज क्षेत्र में वेटिंग लिस्ट में कंडक्टर्स

*५८—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १ मार्च, १९६० को ए० जी० एम०, कानपुर व इटावा की वेटिंग लिस्ट पर कितने कंडक्टर ऐसे थे जिन्हें क्लीयर वैकेंसीज में नियुक्ति नहीं दी जा सकी थी और वह कितने कितने समय से वेटिंग लिस्टों में चले आ रहे थे?

डाक्टर सीताराम—कानपुर में १४८ तथा इटावा में २४ कन्डक्टर वेटिंग लिस्ट में थे। इन लोगों के वेटिंग लिस्ट में आने की तिथि का ब्योरा † संलग्न है।

मोटर तथा ट्रक्स से मृत्युएं

*५९—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में जनवरी, १९५९ से दिसम्बर, १९५९ तक तथा जनवरी, १९६० से अगस्त, १९६० तक मोटर ट्रक्स तथा कार से कितनी मौतें हुई हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सन् १९५९ में ५२३ और सन् १९६० में अगस्त, ३१ तक ३८९ मौतें हुईं।

मोठ तहसील में विभिन्न अपराधों में गिरफ्तारियां

*६०—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी की मोठ तहसील के अन्तर्गत किस-किस थाने के किस-किस कस्बे व ग्राम के रहने वाले जनवरी से मार्च, १९६० तक किस-किस जुर्म में कितने-कितने मुल्जिम उक्त थानों के हल्कों में राज्य की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये थे?

---

† ब्योरा छापा नहीं गया।

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना संलग्न तालिका 'क' में दी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७६० पर)

*६१—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त थानों के अन्तर्गत रहने वाले कत्ल व डाकों के कौन-कौन मुल्जिम, जिनकी झांसी जिले की पुलिस तलाश में है कितने-कितने दिनों से फरार हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—थाना मोट के श्री भगौना, पुत्र गुलई लोधी, दिनांक १० जून, १९५५ से तथा थाना टहरौली के श्री गुपला उर्फ गोपाल, पुत्र मुल्लू अहीर ३० दिसम्बर, १९३० से फरार हैं।

जिला आबकारी सलाहकार समिति, गोरखपुर में प्रतिनिधित्व

*६२—**श्री रामसूरतप्रसाद** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार को यह सूचना है कि अन्तरिम जिला परिषद्, गोरखपुर का कोई भी प्रतिनिधि जिला आबकारी सलाहकार समिति, गोरखपुर में नहीं है? यदि हां, तो कब से और क्यों?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

शिक्षा विभाग के अस्थायी क्लर्क

*६३—**राजा वीरेन्द्रशाह**—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा विभाग में ऐसे कितने क्लर्क हैं जिनको विभाग में कार्य करते हुये १० वर्ष से अधिक हो गये हैं और अभी तक वह स्थायी (परमानेंट) नहीं हुये?

श्री कमलापति त्रिपाठी—तेंतीस।

*६४—**राजा वीरेन्द्रशाह**—सरकार कृपया बतायेगी कि इसका क्या कारण है और विभाग उनको स्थायी करने के लिये क्या प्रयत्न कर रहा है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पदों का देर से स्थायी होना, विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा को पास न करना या देरी से पास करना, शारीरिक योग्यता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना, आदि। १५ पद अप्रैल, १९६० से स्थायी हो गये हैं। उन पर स्थायीकरण के मामले विचाराधीन हैं। अन्य लिपिकों के स्थायीकरण के लिये भी कार्यवाही की जा रही है।

कर्नल ईश्वरीसिंह इन्टर कालेज, शेखपुर बुजुर्ग, जिला जालौन का प्रबन्ध

*६५—**राजा वीरेन्द्रशाह**—क्या यह सही है कि कर्नल ईश्वरीसिंह इंटर कालेज, शेखपुर बुजर्ग, जिला जालौन में कोई प्रबन्धक कमेटी नहीं है और जिलाधीश की देख-रेख में उसका प्रबन्ध चलाया जाता है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

हरिजन सहायक समिति, देवरिया के सदस्य

*६६—**श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी तथा श्री अयोध्याप्रसाद आर्य** (जिला देवरिया)—सरकार कृपया बतायेगी कि क्या देवरिया जिले में हरिजन कल्याण विभाग की जिले स्तर पर कोई समिति है? यदि हां, तो उसके कौन-कौन से सदस्य हैं और वे किस आधार पर सरकार द्वारा मनोनीत किये गये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, जिला हरिजन सहायक समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं जो राजकीय आदेश के आधार पर मनोनीत किये गये :

१	अध्यक्ष (अन्तरिम जिला परिषद्) (जिलाधीश) ..	अध्यक्ष
२	श्री रामधारी पांडे, एम०एल०सी०, (सरकार द्वारा मनोनीत)	उपाध्यक्ष
३	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
४	जिला सहकारी अधिकारी	"
५	जिला विद्यालय निरीक्षक	"
६	जिला उद्योग अधिकारी	"
७	श्री शिव प्रसाद, एम० एल० ए०	"
८	श्रीमती श्यामा देवी (अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा मनोनीत)	"
९	श्री बन्धु प्रसाद, सदस्य, नगरपालिका (जिलाधीश द्वारा मनोनीत)	"
१०	श्री दुर्योधन प्रसाद, (जिलाधीश द्वारा मनोनीत)	"
११	श्री सच्चिदानन्द त्रिपाठी, (जिलाधीश द्वारा मनोनीत)	"
१२	श्री राम गोपाल बंका, (सरकार द्वारा मनोनीत)	"
१३	श्री सुकरुल्लाह अन्सारी, (जिलाधीश द्वारा मनोनीत)	"
१४	जिला नियोजन अधिकारी, अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन)	सचिव
१५	जिला हरिजन कल्याण अधिकारी	संयुक्त सचिव

नार्मल स्कूलों के छात्राध्यापकों को छात्रवृत्ति न मिलना

*६७—**श्री मुक्तिनाथराय, राजा वीरेन्द्रशाह तथा श्री गनेशचन्द्र काछी**—गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस समय प्रदेश में जो ४८ नये नार्मल स्कूल भारत सरकार के अनुदान से चल रहे हैं उनके छात्राध्यापकों को गत चार-पांच माह से स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

किन्तु अब दिनांक २६ सितम्बर, १९६० को छात्रवृत्ति देने की राजाज्ञा जारी कर दी गई है।

*६८—**श्री मुक्तिनाथ राय, राजा वीरेन्द्रशाह तथा श्री गनेशचन्द्र काछी**—यदि हां, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस संबंध में शिक्षा निदेशक से प्राप्त प्रस्ताव में कुछ वित्तीय अशुद्धियां थीं जिन्हें शुद्ध कराने और व्यय की गणना पुनः कराने में कुछ विलम्ब हो गया।

मिश्रिख तहसील के विकास खंडों में हरिजन कूप

*६९—**श्री मूलचन्द** (जिला सीतापुर)——क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले की मिश्रिख तहसील के विकास खंडों में १ जनवरी, १९५९ से १ जुलाई, १९६० तक अलग-अलग कितनी हरिजन बस्तियों में पानी पीने के कुयें बनवाये गये और उनको कितने प्रतिशत सहायता दी गयी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—२६ हरिजन बस्तियों में २६ पानी पीने के कुयें बनाये गये जिसमें उनको ३३ से ५० प्रतिशत तक सहायता दी गई।

अलीगढ़ जिले में विभिन्न अपराध की घटनायें

*७०—**श्री नेकराम शर्मा** (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिकन्दराराऊ, शहर (अलीगढ़) में जनवरी, १९५९ से अगस्त, १९६० तक कितने कत्ल हुये और उनसे संबंधित कितने चालान तथा कितनी सजायें हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त अवधि में सिकन्दराराऊ शहर में एक व्यक्ति का कत्ल हुआ जिसमें ५ अभियुक्तों का चालान हुआ। यह केस न्यायालय में विचाराधीन है।

*७१—**श्री नेकराम शर्मा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ की तहसील सिकन्दराराऊ, अतरौली तथा हाथरस में जनवरी, १९५९ से अगस्त, १९६० तक कितनी चोरियां, कितनी डकैतियां तथा कितने कत्ल हुये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७६१ पर)

लखनऊ का ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय

*७२—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार को ज्ञात है कि राजधानी लखनऊ के हजरतगंज मुहल्ले में जगदीश बिल्डिंग (मकबरे के पास) में ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय नाम की कोई रजिस्टर्ड संस्था है जिसका प्रधान कार्यालय उसी बिल्डिंग में है ?

*७३—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त संस्था के क्या लक्ष्य तथा उद्देश्य हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्र की जा रही है।

कानपुर में खाकसार पार्टी की पुनः स्थापना

*७४—**श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर) तथा **श्री झारखंडेराय**—क्या गृह मंत्री को पता है कि कानपुर शहर में साम्प्रदायिक उत्पात करने वाली शक्तियों ने पुनः सिर उठाया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। ऐसी कोई सूचना नहीं है।

*७५—**श्री रामदुलारे मिश्र** तथा **श्री झारखंडेराय**—क्या यह सही है कि लगभग डेढ़ वर्ष से कानपुर शहर में पाकिस्तानी जासूसों का बाहुल्य होता जा रहा है ? यदि हां, तो आज तक उनकी कितनी गिरफ्तारियां हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नही। अतः दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*७६—**श्री रामदुलारे मिश्र** तथा **श्री झारखंडेराय**—क्या गृह मंत्री को पता है कि सरकार की गंभीर चेतावनी के बावजूद भी कानपुर शहर में बेलचाधारी खाकसार सक्रिय हो गये हैं और उनके संगठन निरन्तर अपना जाल फैला रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरकार कानपुर शहर में खाकसार पार्टी के पुनः स्थापित होने की सूचना से अवगत है। यदि उक्त संस्था द्वारा किसी अवैधानिक कार्यवाही के किये जाने की सूचना मिलेगी तो सरकार उचित कार्यवाही करेगी।

गाजीपुर-कासिमाबाद बस सर्विस

*७७—**श्री यमुनासिंह**—क्या यह सही है कि गाजीपुर जिले में गाजीपुर रोडवेज सदर स्टेशन से खुलने वाली मुहम्मदाबाद होते हुये कासिमाबाद जाने वाली बस गाड़ी का कोई समय निश्चित नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं ।

*७८—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*७९-८०—श्री रामचन्द्र उनियाल—[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*८१—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*८२—श्री द्वारिकाप्रसाद (जिला फर्रुखाबाद), श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस' (जिला उन्नाव) तथा श्री ऊदल—[दसवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

मैनपुरी-लखनऊ, बेवर-एटा, फर्रुखाबाद-शमशाबाद-कम्पिन बस सर्विस पर विचार

*८३—श्री अवधेशचन्द्रसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—क्या मन्त्री परिवहन कृपा कर यह बतायेंगे कि निम्न मार्गों पर राजकीय बसें कब से चलायी जावेंगी ?

(१) मैनपुरी से लखनऊ, (२) बेवर से एटा, (३) फर्रुखाबाद से शमशाबाद और (४) फर्रुखाबाद से कम्पिन ?

डाक्टर सीताराम—मैनपुरी-लखनऊ मार्ग पर सीधी बस सेवा ३ माह के लिये परीक्षण रूप से चलाये जाने के लिये आवश्यक आदेश सम्बन्धित प्रधान प्रबन्धकों को दिनांक १-१०-६० को भेज दिये गये हैं । आशा है सीधी राजकीय बसें शीघ्र ही चलने लगेंगी । शेष मार्गों पर राजकीय बस सेवायें चलाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

महाबल चक में सर्वश्री रघुवरसिंह तथा धामु हरिजन का कत्ल

*८४—श्री झारखंडेराय—सरकार कृपया बतायेगी कि क्या ग्राम महाबल चक, थाना दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ में कुछ लोगों ने मिल कर सर्वश्री रघुवर सिंह तथा धामु हरिजन को २२ अगस्त, १९६० को जान से मार डाला ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां ।

*८५—श्री झारखंडेराय—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस हत्याकांड के विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सभी अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट भेज दी गई । मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

पंच महानगरियों में मजनुओं की गिरफ्तारी

*८६—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उत्तर प्रदेश के सभी नगरों में से स्ट्रीट साइड रोमिओज (लड़कियों से छेड़-छाड़ करने वाले लड़कों) के पकड़ने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसमें कितनी प्रगति हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है परन्तु कुछ नगरों में स्थानीय प्रबन्ध, लड़कियों से छेड़-छाड़ करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का किया गया है ।

*८७—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश की पंच महानगरी (लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर व आगरा) में १९६० में कितने स्ट्रीट साइड रोमिओज (लड़कियों से छेड़-छाड़ करने वाले लड़के) पुलिस ने गिरफ्तार किये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१,२४० ।

मादक वस्तुओं का उपभोग

*८८—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी १९५८–५९ में प्रदेश में कितने गैलन विदेशी शराब व कितने गैलन देशी शराब का उपभोग हुआ ? सबसे ज्यादा उपभोग किस शहर में तथा सबसे कम किस शहर में हुआ ?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*८९—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भांग और गांजा १९५८–५९ में प्रदेश में बाहर से कितने रुपये का मंगाया गया और किस शहर व जिले में सबसे ज्यादा खर्च हुआ तथा किस शहर व जिले में सबसे कम खर्च हुआ ?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

अतारांकित प्रश्न

फरीदपुर इन्टर कालेज के अध्यापकों को नवीन वेतन ग्रेड न मिलना

१—श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)—गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को नवीन वेतन-ग्रेड दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से और प्रदेश के कितने विद्यालयों में ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। जुलाई, १९५९ के उपरान्त से, प्रदेश के समस्त सहायता प्राप्त गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ।

२—श्री नत्थूसिंह—सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि इंटर कालेज में, जो कस्बा फरीदपुर, जिला बरेली में है नवीन वेतन-क्रम से अध्यापकों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक तथा कब से तनख्वाह का बढ़ा हिस्सा दिया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ व २ के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष—अब मैं श्री रामस्वरूप यादव जी को यह अवसर दे रहा हूं। श्री जगन्नाथ लहरी ने फिरोजाबाद में ७२ गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में जो प्रश्न उठाया था उसके सम्बन्ध में वह अपना स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो वह अपना स्पष्टीकरण दे दें ।

गृह उप-मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—अध्यक्ष महोदय, आज अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ व २ के संबंध में अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय मैंने कहा था कि कल ७२ व्यक्ति इस घटना के संबंध में गिरफ्तार हुए । एक सदस्य महोदय ने सदन में कहा कि गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या कहीं अधिक है और सैकड़ों व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं व कुछ को सजा भी हुई है ।

[श्री रामस्वरूप यादव]

मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि ७२ व्यक्ति बम फटने की घटना के संबंध में गिरफ्तार हुए हैं और उसके बाद कुछ छुरेबाजी की घटना हुई और कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। करफ्यू भी लगाया गया और उसके तोड़ने के संबंध में भी गिरफ्तारियां हुईं। उनकी संख्या भी अगर शुमार की जाय तो कुल गिरफ्तारियां २५४ हुईं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—श्रीमन्, वह असली बात बतला दें कि जिसने बम फेंका है, वह आदमी गिरफ्तार हुआ है अथवा नहीं ?

श्री अध्यक्ष—इसके बारे में अब और प्रश्न नहीं हो सकते।

प्रश्नों की अस्वीकृति के सम्बन्ध में शिकायत

श्री भजनलाल (जिला इटावा)—श्रीमन्, प्रश्नों के बारे में एक मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने दो, ढाई सौ तारांकित और अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिये थे जिन पर कभी लिख दिया जाता है कि वे स्थानीय हैं, कभी लिख दिया जाता है कि वे टाउन एरिया और म्युनिसिपैलिटी से संबंधित हैं जबकि अन्य सदस्यों के उसी तरह के प्रश्न स्वीकृत कर लिये जाते हैं। दूसरे एक महीने पहले मैंने नियम ५२ के प्रश्न के बाद एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिया था और आप के कहने पर मैं श्री उपाध्यक्ष जी के कमरे में भी मिला था। मेरा प्रश्न था जिला जेल इटावा के बारे में। वहां से २० और २१ जून को मैंने एक पत्र लिखा था डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी को और उस समय मैंने लिखा था कि मेरे इस प्रश्न को स्वीकार कर लिया जाय लेकिन उसकी भी मेरे पास कोई सूचना नहीं आयी और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जबकि स्वतः मुझ को वहां के सिपाहियों ने हवालात में बंद कर दिया। तो मैं चाहूंगा कि भविष्य में इस पर उचित कार्यवाही करने की कृपा की जाय।

श्री अध्यक्ष—जब आपको प्रश्नों के बारे में कोई उत्तर न मिले अथवा देर हो अथवा वे मंजूर न हों तो उसके बारे में अगर आपको शिकायत हो तो आप मेरे दफ्तर में मुझे बतला सकते हैं मुझे मिल कर, और मैं फाइल मंगवा कर देख लूंगा कि उसमें क्या हुआ है। मैं बिना कोई तहकीकात किये हुए ही यहां फैसला नहीं दे सकता और इसीलिये यहां शिकायत करने का कोई अवसर नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मेरी जानकारी है कि प्रश्नों के संबंध में सारी जानकारी माननीय उपाध्यक्ष के पास ही रहती है और उन पर वे ही अपनी व्यवस्था देते हैं। अगर आप अपील के रूप में अपने कमरे में बुलाना चाहें, आपके पास हम अपील ले कर आयें इस रूप में तब तो ठीक है, अन्यथा उस कमरे में मैं भले ही बार-बार प्रवेश करूं, मेरी शंका दूर नहीं होती है। इस संबंध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप मेरे पास आ सकते हैं और मैं श्री उपाध्यक्ष से भी पूछूंगा। हममें और उनमें कोई अंतर नहीं है।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ व २ के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण—(क्रमागत)

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, अभी उप-मंत्री महोदय ने जो स्पष्टीकरण दिया है उस संबंध में माननीय पालीवाल जी ने प्रश्न किया था कि ७२ व्यक्तियों में करफ्यू तोड़ने वाले भी शामिल हैं तो उत्तर दिया गया था कि शामिल हैं। और इस बार कहा गया कि ७२ बम के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये। इस सम्बन्ध में, मैं चाहता हूं कि वे अधिक स्पष्ट कर दें तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष—अब मैं इसकी इजाजत नहीं देता। वह चूंकि स्पष्टीकरण देना चाहते थे इसलिये मैंने उसकी इजाजत दे दी। अब मैं और अधिक स्पष्टीकरण के लिए प्रश्नों की इजाजत नहीं दूंगा।

फीरोजाबाद में रामलीला के जुलूस पर बम फेंकने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग—(क्रमागत)*

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—एक प्रार्थना मैं करना चाहता था। आपने दफा ५२ के बारे में बयान सोमवार को दिलाने के लिये कहा था और चूंकि संभावना यह है कि सोमवार को बैठक ही न हो इसलिये इस फीरोजाबाद के मामले में जो भी जानकारी उनको हो वे आज ही दे दें क्योंकि यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, अन्यथा यह रह जायगा। १२ अगस्त के बाद यह समझ लिया गया था कि समस्या हल हो गयी लेकिन फिर बम कांड हुआ और कितने ही आदमी मरे। इस हालत में अगर समस्या को शान्ति और सद्भावना के साथ हल नहीं किया गया तो अन्य कोई दुर्घटना भी हो सकती है, और झगड़े हो सकते हैं। इसलिये मैं चाहता था कि वे स्पष्ट कर दें परिस्थिति और विशेष प्रयत्न करें शान्ति स्थापना के लिये। मुझे इसमें बहस नहीं करना है, लेकिन यह प्रार्थना अवश्य है। तो मुझे इस संबंध में कोई ज्यादा बहस नहीं करनी है, न कोई आलोचना ही करनी है। किन्तु प्रदेश की जनता के हित में जरूर यह बात की जाय नहीं तो इसका परिणाम ठीक न होगा और.....

श्री अध्यक्ष—ठीक है, आज जो काम है मैं इसको पहले निपटा लूं। उसके बाद आपने जो प्रश्न उठाया है, उसके लिये मैं पूछ लूंगा और मंत्री जी अगर उत्तर देना चाहेंगे तो मैं उसके लिये उन्हें इजाजत दे दूंगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, पहले भी ऐसे झगड़े हुए हैं। शाहजहांपुर में भी इसी प्रकार की घटना घटी...

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठिये, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी इस समस्या का कोई समाधान तो करें.....

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठिये, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, इस संबंध में आप कृपया कोई विशेष आदेश दीजिये.....

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठिये, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

मुख्य मंत्री तथा गृहमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास दो विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रस्ताव भेजे गये थे, जिसमें एक श्री देवनारायण भारतीय जी का भी है जिन्होंने कल नोटिस दिया था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक वक्तव्य इस्तीफा देने के संबंध में दिया था, तथा उसी विषय में ध्यान आकर्षित करना

*६ अक्तूबर, १९६० की कार्यवाही से।

[श्री अध्यक्ष]

चाहा था। मैंने कल भी कहा था कि यह विषय नियम ५२ या अन्य किसी प्रकार से सदन में नहीं लाया जा सकता क्योंकि यह एक घरेलू झगड़ा एक विशेष पार्टी का है और इस संबंध में यदि कोई कुछ वक्तव्य देता है तो उस विषय में यहां सदन में कोई वाद-विवाद नहीं हो सकता। फिर उन्होंने वक्तव्य मुख्य मंत्री होने की हैसियत से नहीं दिया था, एक कांग्रेसी की हैसियत से दिया था। किसी के चुनाव का क्या परिणाम होगा, उस बारे में उन्होंने कोई वक्तव्य दिया तो उस पर यहां विवाद नहीं हो सकता। वह कोई माननीय मुख्य मंत्री का वक्तव्य नहीं था, वह एक कांग्रेसी की हैसियत से उन्होंने दिया था। इसका मतलब यह नहीं होता कि उन्होंने गवर्नमेंट की ओर से इस तरह का स्टेटमेन्ट दिया। अतः यह प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है और न ही इससे कोई विशेषाधिकार की अवहेलना होती है। इसीलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—मैं कुछ निवेदन कर दूं...

श्री अध्यक्ष—जी नहीं।

श्री देवनारायण भारतीय—उन्होंने जो वक्तव्य दिया था वह मुख्य मंत्री की हैसियत से ही दिया था. . . .

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, मैं इस पर कुछ बोलने की इजाजत नहीं देता हूं। यह तो उनकी सिफत है . . .

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, उनकी मंशा को तो देख लिया जाय, वे इससे अलग नहीं हैं, उनका वक्तव्य मुख्य मंत्री की हैसियत से अथाराइज्ड वक्तव्य माना जाता है.....

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठिये, वे २४ घंटे मुख्य मंत्री नहीं रहते। जब वे अपने लड़के से बोलते हैं तो मुख्य मंत्री की हैसियत से नहीं बोलते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, इस्तीफा देने की बात जो कही है उसकी मंशा को तो देखा जाय, उससे हम लोगों का ताल्लुक हो जाता है. . . .

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। आप कृपया बैठिये, मैं आपको बताता हूं। आप के घर में ही अगर लड़ाई हो और आप अगर घर में यह कहें कि तुम अगर मेरी बात नहीं मानती हो तो मैं इस्तीफा दिये देता हूं, और उस पर कोई यहां प्रस्ताव ले आयें, तो मैं उस पर बहस की इजाजत नहीं दूंगा। (हंसी)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, आपका फर्ज हो जाता है कि उस लड़ाई को बचाया जाय।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, एक बात मैं कहना चाहता हूं। एक प्रश्न के उत्तर में वे कह रहे थे. . . .

श्री अध्यक्ष—कृपया बैठिये, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं दूसरी बात कह रहा हूं। जो उत्तर माननीय गृह मंत्री जी ने दिया है वह ठीक नहीं है, न कोई आर्डर्स गये हैं और न कोई सस्पेन्ड हुआ है.....

श्री अध्यक्ष—लेकिन वह यह कहते हैं कि हमने उनसे पूछा तो उन्होंने यह उत्तर दिया कि हमारे आर्डर्स पहुंचते होंगे। वह उस वक्त नहीं पहुंचा था जिस वक्त उन्होंने उत्तर दिया था।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। मेरे पास इत्तला कल आयी है। श्रीमन् को याद होगा कि ननकू कांड के बारे में माननीय त्रिपाठी जी ने इस सदन में कहा था।

श्री अध्यक्ष—आप यह सब जिक्र इस वक्त नहीं कर सकेंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—नहीं श्रीमन्, जब उन्होंने कहा था तभी हमें शक था वहां पता लगाया गया। जब दोबारा पूछा तो उन्होंने अपनी बात को दोबारा ऐसर्ट किया है कि उस पर कार्यवाही हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष—आप बैठिये तो, मैं उनसे पूछ लूं। माननीय त्रिपाठी जी, कुछ कहेंगे ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जो यहां पर कहा गया था वह सही था। आदेश जा चुके हैं और जो जरूरी कार्यवाही थी वह यहां से हो गयी। यदि माननीय सदस्य यह कहते हैं कि आदेश गये और वह सस्पेंड नहीं हुये तो इसकी सूचना मुझे नहीं है, लेकिन आदेश यहां से गये। अब वह यह कहते हैं कि आदेश गये और वहां सस्पेंशन नहीं हुआ तो इसकी जांच करने की जरूरत है और उनके खिलाफ कार्यवाही करने की जरूरत है जिन्होंने उस आदेश का पालन नहीं किया। उन्होंने क्यों उस आदेश का पालन नहीं किया यह मैं नहीं जानता।

श्री अध्यक्ष—मैं यह समझता हूं कि जो प्रश्नों के उत्तर यहां दिये जाते हैं वह कई जगह की सूचनाओं के आधार पर दिये जाते हैं। तो जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि जानबूझ कर गलत बयानी हुई है तब तक विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—तीन बार यह प्रश्न उठाया था। माननीय गेंदा सिंह जी ने जब यह प्रश्न उठाया था तब भी उन्होंने इसी बात को ऐसर्ट किया था। इस आदरणीय सदन ने और प्रिविलेज कमेटी ने इसको होल्ड किया। उन्होंने बार-बार इसको एसर्ट किया और इसलिये यह प्रिविलेज का क्वेश्चन बनता है क्योंकि यह गलत सूचना सदन को दी। इस प्रकार की एक रूलिंग इस हाउस की हो चुकी है वैसे श्रीमन् को ताकत है जैसा कहें।

श्री अध्यक्ष—मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं इसकी और इसका कारण यह है कि इस तरह की कोई चीज इसमें उन्होंने पेश नहीं की कि क्या-क्या उत्तर दिये गये हैं पूरक प्रश्नों में। अब वह यहां पर बता रहे हैं लेकिन प्रस्ताव में कोई चीज कही नहीं गयी तो ऐसी हालत में जानबूझ कर गलत बयानी करने का प्रश्न नहीं आता। ऐसा उत्तर उन्होंने दिया था जो इत्तला मिली थी उनको उसके आधार पर। अब यह स्पष्ट नहीं होता कि जानबूझ कर कौन-सी गलत बात कही गयी है इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं। यह उपस्थित नहीं हो सकता जब तक इस बात का सबूत आप नहीं देते कि जान-बूझ कर गलत उत्तर दिया गया है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब कई प्रकार के कामरोको प्रस्ताव मेरे पास आये हैं और मैंने कोई भी स्वीकार नहीं किये हैं। एक तो गौरीशंकर राय जी का था जिसमें उनका चार्ज है कि गवर्नमेंट के आदमियों ने इस चुनाव में जो कांग्रेस के हुये हैं इसमें मोटरगाड़ियों या टेलीफोन का प्रयोग किया। लेकिन मोटरगाड़ियों और टेलीफोन के प्रयोगों के लिये जो खर्च होते हैं वह तो बाद में भी दिये जा सकते हैं। किसी ने टेलीफोन इस्तेमाल किये और बाद में दे दिये उसके पैसे, यह भी होता है। मोटरें ली गयीं अगर किसी के द्वारा

[श्री अध्यक्ष]

और ६ आना मील के हिसाब से पेमेंट हो गया हो बाद में यह भी हो सकता है। इस तरह का कोई भी चार्ज प्रस्ताव में नहीं है कि उसके लिये पेमेंट नहीं किया था या कौन सी गाड़ियां इस्तेमाल की गयीं इसकी भी कोई निश्चितता नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—निश्चितता के सम्बन्ध में यदि आप आज्ञा दें तो मैं यह निवेदन कर दूं कि वैसे तो जो भी रूलिंग आप देंगे वह शिरोधार्य होगी ही लेकिन मैंने स्वयं देखा है। इसके अलावा भी जहां तक यह प्रश्न है कि गाड़ियां इस्तेमाल हुईं या नहीं उस सम्बन्ध में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। वैसे तो मेरे पास उन गाड़ियों के नम्बर और फोटो भी हैं लेकिन मैं उनको उपस्थित नहीं करना चाहता। इस सदन के माननीय नेता डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी हैं। मैं उनको स्वयं मानता हूं। इस मामले में वह स्वयं बता दें कि सरकारी साधनों, मोटर और टेलीफोन आदि का इस्तेमाल हुआ या नहीं। उनके स्टेनो तक ने खाने पीने का इन्तजाम किया, सारे साधनों का उपयोग हुआ या नहीं? मैं उनके बयान को अन्तिम वाक्य मान लूंगा और इसके लिये उसके आगे मैं कोई सबूत नहीं देना चाहूंगा। जहां तक मेरी जानकारी है सरकारी मोटरों का इस्तेमाल हुआ।

आपने एक नयी बात बतायी कि ६ आना मील के हिसाब से दाम दे देते हैं, मैं इस सम्बन्ध में कोई सबूत नहीं देना चाहता लेकिन मैं समझता हूं कि आप भी इस सम्बन्ध में थोड़ी जानकारी करके उसकी बिना पर निर्णय ले लीजिये और उसको मैं अंतिम मानूंगा। सरकारी मोटरों के इस्तेमाल के सम्बन्ध में आपने एक नयी बात बताई, मैं नहीं जानता कि ६ आने मील के हिसाब से कहां-कहां पेमेन्ट होता है, वह दूसरा सवाल है। मैं उसको स्वयं नहीं जानता लेकिन क्या आप यह उचित समझते हैं कि सरकारी कारों का इस्तेमाल पी०सी० सी० के मेम्बरों के आने के लिये या हमारी पार्टी के चुनाव के लिये रोडवेज की मोटरों की तरह से किया जाय।

श्री अध्यक्ष—आपने निश्चित बात नहीं कही। कल भी आपने मुझे फोन किया था। मैंने आपसे यह कहा था कि इस विषय में आप पूरी तरह से जांच कर लें और तब चार्ज लायें और आपने कहा था कि हम मोटरों के नम्बर नोट कर लेंगे। लेकिन मेरे पास जो प्रस्ताव भेजा गया उसमें किसी व्यक्ति के ऊपर कोई चार्ज नहीं है कि किसी मिनिस्टर ने अमुक बात की। आम तौर पर कही हुई बात को मैं काम रोको प्रस्ताव का आधार नहीं बना सकता हूं।

श्री गौरीशंकर राय—इस महत्वपूर्ण मामले पर आप टेक्निकल ग्राउंड पर जो चाहें निर्णय करें लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं गया था, मोटरों के नम्बर मुझे मालूम हैं। एक मोटर को मैं पहचान नहीं सका कि वह किस मिनिस्टर की थी, उसका नम्बर यू०एस० क्यू० ३५४८ था। आप मुख्य मंत्री जी से पूछें कि यह सत्य है या नहीं....

श्री अध्यक्ष—मैंने दफा ५२ का विषय उनके पास भेज दिया है।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमान् जी, मेरा भी एक निवेदन है। ये लोग तो मोटर का इस्तेमाल करते हैं। हमारे भी नेता हैं उनके यहां फोन लगा हुआ है लेकिन उस पर हमारा नम्बर ही नहीं आ पाता तो आप उनसे पूछिये कि उस पर हम भी आकर बोल सकते हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष—आप भी आकर बोल सकते हैं।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमान् जी, एक निवेदन और है। मैं यहां पर कल से सुन रहा हूं और देख रहा हूं कि बड़ी खुशी हो रही है। हरएक पार्टी चाहे वह कांग्रेस हो या और कोई हो उसके चुनाव होते रहते हैं, कोई प्रेसीडेन्ट होता है, कोई कुछ होता है उससे हमें क्या मतलब। उसमें चाहे कोई हारे या जीते, चाहे सम्पूर्णानन्द की सरकार हो या चरणसिंह की सरकार हो, वह एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं, इसमें किसी को खुशी मनाने की क्या जरूरत है।

श्री अध्यक्ष—आप ठीक कहते हैं, न किसी को खुशी होनी चाहिये न किसी को रंज होना चाहिये ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, पार्टी एलेक्शन्स में जो सरकारी साधनों का प्रयोग किया जाता है इसको रोकने के लिये आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—अगर कोई ऐसी चीज हो . . . .

श्री उग्रसेन—आप जांच कर लीजिये . . .

श्री अध्यक्ष—यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता ।

बाढ़ के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य देने की मांग

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—बाढ़ के सम्बन्ध में मैंने दिया था . . . .

श्री अध्यक्ष—बाढ़ के सम्बन्ध में मैंने स्वीकार किया है । (न्याय मंत्री से) आप कब वक्तव्य देंगे ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—इस सिलसिले में जिलों से इत्तला मंगानी पड़ेगी क्योंकि सिर्फ लखनऊ में ही बारिश नहीं हुई है । अगर लखनऊ के बारे में ही पूछें तो बता दूं ।

श्री मदन पांडेय—लखनऊ के सम्बन्ध में ही मैंने दिया है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—लखनऊ में काफी गांवों में नुकसान हुआ है और बारिश खूब हुई है, इतना मैं कह सकता हूं ।

श्री मदन पांडेय—कितने आदमी मरे हैं और कितने घर गिरे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये टाइम चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—तो आज के बाद जब हम बैठेंगे तब पहले रोज ही आप इसका उत्तर दे दीजियेगा ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जहां-जहां से इत्तला मिल सकेगी वहां की इत्तला दे दूंगा और देवरिया को जरूर खटखटाऊंगा ।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)—अध्यक्ष महोदय, इटावा में ९ इंच पानी बरसा है ।

अभिसूचित कार्य-स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैंने एक कामरोको प्रस्ताव दिया था और वह इस संबंध में था कि दो दिनों से कोई मंत्री या मुख्य मंत्री सचिवालय में नहीं पधारे और प्रदेश का काम ठप्प पड़ा है, इस प्रकार से प्रशासन शिथिल हो चला है . . . .

श्री अध्यक्ष—यह अनिश्चित है । वे बहुत काम कर रहे हैं । आपकी हर बात के ऊपर उनको बयान देने की मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—वह तो निश्चित था लेकिन आपने यह रूलिंग दे दी । आप कम से कम उनसे पूछ तो लें कि शासन सूत्र शिथिल है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—आपका कोई काम अटका हो तो बतायें ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, दो दिन से हमारा फोन नहीं लग रहा है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। आपने रूलिंग दी कि मेरा प्रस्ताव कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता और आपने कहा कि दफा ५२ के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिये भेज दिया है। एक तो यह और दूसरी बात यह है कि मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे विवादग्रस्त विषयों पर सदन में स्पष्टीकरण मिलने का कोई मार्ग निकल भी सकता है या नहीं?

श्री अध्यक्ष—निकल सकता है। लेकिन आप यह तो जानते ही हैं कि आप किन परिस्थितियों में बैठे हुये हैं जिनकी वजह से शायद यह सदन भी स्थगित हो जाय, उस परिस्थिति में मैं इस समय कोई मार्ग नहीं बता सकता। लेकिन मार्ग निकलेगा और आपको उसका उचित उत्तर मिलेगा।

श्री गौरीशंकर राय—मैं तो यह चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं यह बता दें कि सरकारी साधनों का प्रयोग हुआ है या नहीं। आप स्वयं जज हैं इसलिये मैं आपको गवाही में नहीं रखना चाहता नहीं तो मैं यह कहता कि आपही कह दीजिये कि वस्तुस्थिति क्या है। इसलिये आपके द्वारा मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे सत्य-सत्य कह दें कि क्या पोजीशन थी। मुझे आशा है कि वे ठीक ही बतायेंगे।

१२ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न ४–५ से सम्बन्धित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष—अब श्री लक्ष्मणराव कदम के तारांकित प्रश्न का संशोधित उत्तर माननीय गृह मंत्री देंगे।

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—श्रीमन्, सिर्फ संशोधित उत्तर पढ़ दूं या पूरा पढ़ूं?

श्री अध्यक्ष—संशोधित उत्तर ही पढ़ दीजिये।

श्री रामस्वरूप यादव—उक्त संबंध में जो उत्तर दिया गया था उसके बारे में बाद को पता चला कि वह उत्तर सही नहीं था। सही उत्तर इस प्रकार है—

(१) ८ कमरों में रसोईघर का प्रबन्ध किया जा रहा है।

(२) सभी २४ कमरों में रसोईघर का प्रबन्ध किया जा रहा है। जो नये ३२ कमरे बन रहे हैं, उनमें रसोईघर कमरों के साथ-साथ बनाये जा रहे हैं।

(अनुपूरक प्रश्नोत्तर तथा मूल प्रश्नोत्तर के लिये देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७६२–७६३ पर)

फीरोजाबाद में रामलीला के जुलूस पर बम फेंकने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य—(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—फीरोजाबाद में शांति-व्यवस्था के बारे में माननीय पालीवाल जी ने जो प्रश्न उठाया था उसके संबंध में माननीय गृह मंत्री जी कोई वक्तव्य संक्षिप्त देना चाहें तो दे सकते हैं।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जहां तक शांति और व्यवस्था की स्थापना की बात है वहां पर पी०ए०सी० की बहुत सी टुकड़ियां भेज दी गयी हैं, रेलवे में भी हमारे स्क्वेड्स चलते हैं, गांवों में भी हमने प्रबन्ध कर दिया है। शांति सम्प्रति स्थापित हो गयी है।

जहां तक जांच-पड़ताल की बात है कि किन लोगों का यह षडयंत्र रहा है और किन लोगों की इसमें साजिश रही है, उसके लिये कार्यवाही की जा रही है, जांच हो रही है। सरकार के पास इस बारे में कुछ रिपोर्ट आयीं हैं और कुछ आने वाली हैं, जिनके बारे में यहां कहना मुनासिब नहीं होगा। जिस खतरे की ओर माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया है उसके बारे में जांच-पड़ताल हो रही है।

जहां तक शांति कमेटी इत्यादि की स्थापना की बात है, मैं समझता हूं इस संबंध में माननीय पालीवाल जी ने भी और माननीय लारी जी तथा और सज्जनों ने वहां उस समय भी प्रयास किया जब कि दंगा फसाद चल रहा था और अब भी वे प्रयास कर रहे हैं, सरकार उनके प्रयास में हर तरह से मदद करेगी और आशा है कि लोगों में भाई-चारे की भावना को फैलाने के लिये जो सहायता माननीय सदस्यों से मिलती रही है वह आगे भी मिलती रहेगी और जो भी मुनासिब सहायता हम दे सकेंगे उसमें कमी न रखेंगे। और हम आशा यही करते हैं कि अब फिर किसी प्रकार की ऐसी दुर्घटना नहीं घटेगी। जहां तक इस विषय में विवाद का प्रश्न है मैं ऐसा समझता हूं कि जिस लक्ष्य की सिद्धि के लिये, जिसकी ओर कि माननीय पालीवाल जी ने ध्यान दिलाया कि शान्ति और सुव्यवस्था स्थापित हो, इस समय कोई विवाद न करना ही लाभदायक व सहायक सिद्ध होगा। इसलिये मेरी प्रार्थना आप से भी है और आदरणीय पालीवाल जी तथा सदन के माननीय सदस्यों से भी यही है .....

श्री अध्यक्ष—विवाद का सवाल नहीं है, आपने सिर्फ इशारा कर दिया जो काफी है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई विवाद न करना ही लाभदायक व सहायक सिद्ध होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—मैंने जैसा कहा कि मेरा कोई आलोचना करने का सवाल नहीं है। लेकिन मैंने शान्ति व व्यवस्था की बात नहीं उठायी थी, मैंने तो यह सवाल उठाया था कि शान्ति और सद्भावना पैदा करने के लिये जो एक तनाव पैदा हो गया है उसको दूर करने के लिये माननीय गृह मंत्री जी ने मुझसे भी सहयोग की बात कही तथा लहरी जी से भी कही .....

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, जब कि सदन चल रहा है, माननीय मंत्री जी सदन में कुछ कनवेसिंग कर रहे हैं जो सदन की मर्यादा के खिलाफ है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि प्रश्न यह है कि क्या सरकार जो प्रयत्न कि शान्ति व सद्भावना स्थापित करने के लिये व्यक्तिगत रूप से लोगों द्वारा किये जा रहे हैं उनको संगठित करके इस बात की कोशिश करेगी जिससे वहां शान्ति व व्यवस्था की सद्भावना उत्पन्न हो ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मैं इस सम्बन्ध में केवल एक ही बात जानना चाहता हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा.....

श्री अध्यक्ष—आप दूसरे दृष्टिकोण से कह रहे हैं, वे दूसरे दृष्टिकोण से कह रहे हैं, दोनों के दृष्टिकोण अलग-अलग हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—उससे कोई डैमेज नहीं होता, एक माननीय सदस्य ने पत्थर मारा है जनसंघ के ऊपर, इसलिये मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि समाजवादी पार्टी के पार्लियामेंट के एक मेम्बर ने एक बयान दिया है.....

श्री अध्यक्ष—आप वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दें।

(व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—फीरोजाबाद की घटना के बारे में....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें, मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

अब माननीय गृह मंत्री जी कुछ कहेंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं कह रहा था कि जिस प्रश्न को पालीवाल जी ने उठाया है कि शान्ति और सद्भावना तथा भाई-चारे को फैलाने के लिये गैर सरकारी लोगों द्वारा और सरकार की सहायता से क्या प्रबन्ध किया जा सकता है, उस विषय में मैं उनसे खुद बात कर लूंगा और जो आगरा के और भी मित्र हैं उनसे भी मैं बात कर लूंगा और उस सम्बन्ध में जो भी प्रयास किया जायगा उसमें सरकार की ओर से पूरी मदद दी जायगी। इसमें कोई सन्देह नहीं है।

सदन का भावी कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—अब माननीय मुख्य मंत्री जी प्रोग्राम के बारे में बतलायेंगे कि सदन का काम कब तक चलेगा।

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन की यह बैठक इस आशा से बुलायी गयी थी कि १४ तारीख तक इसकी बैठक चलती रहेगी। उससे सम्बन्धित जो कार्यक्रम सोचा गया था उसमें कुछ तो छोटे-छोटे विधेयक थे और उनके अलावा एक काफी बड़ा विधेयक था सहकारिता के सम्बन्ध का और हमें आशा थी कि वह बड़ा विधेयक प्रवर समिति के पास भेजा जा सकेगा। लेकिन प्रदेश में कुछ विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिससे कि सभी माननीय सदस्य परिचित हैं। कल मैं मौजूद नहीं था लेकिन मैंने सुना कि कल भी उसका चर्चा हुआ था और आज भी उस पर काफी चर्चा हुआ, किसी न किसी रूप में उसका जिक्र हुआ। यों तो जैसा कि आपने कहा कि उस परिस्थिति का सम्बन्ध इस सदन में जो कई पार्टियां हैं उनमें से एक पार्टी से है, उसके भीतर की बात है और जहां तक मैं जानता हूं सभ्य समाज में जहां-जहां भी इस प्रकार के लोकतांत्रिक ढंग से चलने वाले सदन होते हैं उनमें एक जनरल कनवेंशन ऐसा जरूर होता है कि लेजिस्लेचर में काम करने वाली एक पार्टी की भीतरी बातों के सम्बन्ध में दूसरी पार्टी के लोग सदन में जिक्र नहीं किया करते और हमें ऐसी आशा करनी चाहिये। यदि हम चाहते हैं कि शराफत का जो आचार है, जो व्यवहार है जो और देशों में सफलता के साथ चालू है, जिसके आधार पर कि लोकतन्त्र चल सकता है वह रहे तो हमें ऐसी आशा करनी चाहिये कि हम भी अपने यहां उन का पालन करें। लेकिन इसके साथ ही एक बात सही है कि जिस दल विशेष से इस समय इस परिस्थिति का सम्बन्ध है वह वह दल है जिस को कि रूलिंग पार्टी कहा जा सकता है,जिस दल के प्रतिनिधि लोग इस समय सरकार में हैं, इसलिये निश्चय ही जो परिस्थिति है उस का प्रभाव सदन पर पड़ता है।

यदि आप की अनुमति हो तो अभी कुछ प्रश्न जो यहां पूछे गये, उनके सम्बन्ध में मैं दो शब्द निवेदन कर दूं। एक माननीय सदस्य ने कुछ इस बात का जिक्र किया कि उस दल विशेष के आपसी किसी चुनाव में सरकारी साधनों का उपयोग हुआ। यह शिकायत यहां मेरे सामने पहले पहल आई जबकि इस नोटिस को मैंने देखा। जहां तक मेरी निज की जानकारी है वह मैं बता सकता हूं। इस वक्त यदि कोई शिकायत है तो वक्त की कमी के कारण जो मुझे जानकारी है वह मैं बता सकता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है वह यह है कि यदि कोई सरकारी गाड़ियां काम में लायी गयीं तो वह किराये पर ली गई होंगी, किराया दिया गया होगा या दिया जाने वाला होगा। इसके अलावा यदि कुछ लोगों ने सफर किया होगा तो अपने खर्च पर किया होगा। यदि टेलीफोन का प्रयोग हुआ हो तो उस का पेमेंट हुआ हो यह हो सकता है, फिर भी मैं यह मानता हूं कि यह भी हो सकता है कि किसी आदमी के घर पर सरकारी खर्च से टेलीफोन लगा हो और उस पर दस जगह से बात हुई हो और एक-दो जगह चुनाव के सम्बन्ध में भी बात हुई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो, इस चीज की कसम तो नहीं खाई जा सकती। इसी तरीके से जिन लोगों को सरकारी गाड़ियां मिली हुई हैं, हो सकता है कि वह चुनाव के सिलसिले में भी चली गई हों लेकिन इसके अलावा जिसको सरकारी साधनों का इस्तेमाल कहते हैं जहां तक मैं समझता हूं वह नहीं हुआ। लेकिन इसकी शिकायत की गई है। जब तक पूरी जांच न कर लूं इसके जवाब में और अधिक कहना मुश्किल है। अब तक की जानकारी के आधार पर केवल इतना ही कह सकता हूं।

मैं यह कह रहा था कि इस बार जो इस दल विशेष के चुनाव हुये उस से यहां कुछ विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई और उस विशेष परिस्थिति का हमारे कार्यक्रम पर भी परिणाम पड़ता है। मैं ऐसा समझता हूं कि यह अनुचित है कि हम इस वक्त जिन बिलों को सदन के सामने रख रहे हैं और विशेष रूप से उस बड़े बिल को जिसका सहकारिता से सम्बन्ध है उसको ऐसे समय में सदन के सामने रखें। जबकि यह राजनैतिक परिस्थिति कोई स्पष्ट रूप धारण कर ले उसी वक्त यह मुनासिब होगा, स्वस्थ और लोकतांत्रिक तरीका यही है उस वक्त तक हमें इन्तजार करना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि सदन इस समय उठ जाय क्योंकि इस समय हम और कोई काम सदन के सामने पेश करना नहीं चाहते। माननीय सदस्यों को इसके कारण जो तकलीफ हुई है उसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन १२ बजकर ३५ मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
७ अक्तूबर, १९६०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३० पर)

कोतवाली (देवरिया) व बरहज में १ जनवरी, १९६० से १ अगस्त, १९६० तक हुई डकैती, कत्ल व चोरी की घटनाओं तथा दफा १०९ व ११० जा० फौ० के अन्तर्गत चालान किये गये व्यक्तियों की संख्या।

क्रम संख्या	थाना	डकैती	कत्ल	चोरी	दफा १०९ जा० फौ० के अन्तर्गत चालान हुये व्यक्तियों की संख्या	दफा ११० जा० फौ० के अन्तर्गत चालान हुये व्यक्तियों की संख्या
१	कोतवाली	१	..	४०	५	..
२	बरहज	..	२	२३	१	२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४१ पर)

परिशिष्ट 'क'

कक्षा—५

१—निरंजन सिंह—बेसिक प्राइमरी पाठशाला, जसनावली खुर्द ।

२—बृजेन्द्र सिंह—प्राइमरी स्कूल, लखावटी ।

कक्षा—६

१—सूरज पाल सिंह—राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल ।

२—योगेश्वर शर्मा—जे० ए० एस० इन्टर कालेज, खुर्जा ।

३—यशपाल सिंह—एस० बी० इन्टर कालेज, भुवन बहादुर नगर ।

कक्षा १०

शून्य

कक्षा ११

१—सत्यपाल सिंह—डी० ए० वी० इन्टर कालेज ।

२—सुखबीर सिंह फौघट—डी० ए० वी० इन्टर कालेज ।

कक्षा—बी० ए०

१—ध्रुव नारायण सिंह—बी० एस-सी० (एग्रीकल्चर), ए० एस० जाट कालेज, लखावटी (पार्ट–२) ।

२—रणवीर सिंह—बी० ए० (पार्ट–२) डी० ए० वी० डिग्री कालेज ।

३—कृपाल सिंह—बी० एस-सी० (एग्रीकल्चर पार्ट प्रथम) ए० एस० जाट कालेज, लखावटी ।

४—श्री राम लाल सिंह—बी० ए० (पार्ट–२), एन० आर० ई० सी० कालेज, खुर्जा ।

५—इन्द्रजीत सिंह—बी० एस-सी० (एग्रीकल्चर), पार्ट प्रथम, ए० एस० जाट कालेज, लखावटी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४३ पर)

तालिका 'क'

तहसील मोठ के थानों के विषय में गिरफ्तार किये गये मुलजिमों की सूची

क्रमांक	नाम थाना	ग्राम	धारा	संख्या मुलजिम जो गिरफ्तार किये गये
१	थाना समयर ..	कस्बा समयर	१३ जुआ	५
२	,, ,, ..	ग्राम जोता	१०९ जा० फौ०	१
३	,, ,, ..	ग्राम बेलवां कलां	४५२/३२३ ता०	४
४	थाना मोठ ..	कस्बा मोठ	३२४/३२५ ता०	४
५	,, ,, ..	ग्राम बमरौली	३९५/३९७ ता०	३
६	,, ,, ..	ग्राम भैरोघाट मजरा गोपालपुरा	३९५/३९७ ता०	३
७	,, ,,	ग्राम भैरोघाट गोपालपुरा	६० आबकारी	१
८	,, ,, ..	ग्राम गोपालपुरा	६० आबकारी	१
			योग ..	२२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४५ पर)

तालिका

१ जनवरी, १९५९ से ३१ अगस्त, १९६० तक तहसील सिकन्दराराऊ, अतरौली व हाथरस में हुई चोरियों, डकैतियों व हत्याओं की संख्या।

तहसील	चोरी	डकैती	हत्या
सिकन्दराराऊ..	८७	३	१६
अतरौली	२२५	१४	१७
हाथरस	२८९	८	१७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७५४ पर)

अध्यक्ष महोदय,

दिनांक १२ अगस्त, १९६० को श्री लक्ष्मणराव कदम, एम० एल० ए० द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ४ व ५ के संबंध में श्री प्रताप सिंह, एम० एल० ए० ने निम्नलिखित अनुपूरक प्रश्न पूछा था :—

(१) क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो ८ कमरे बन चुके हैं उनमें जो मटीरियल ठेकेदार की ओर से लगाया गया है वह ऐसा है कि अभी से टूटने लगा है। वहां रसोईघर की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे मेम्बरों को बड़ी तकलीफ है। इसलिये बाकी कमरों में इस सुविधा को देने की कृपा करेंगे ?

(२) क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रायल होटल में जो २४ कमरे हैं उनमें रसोईघर वगैरह की कोई फैसिलिटी नहीं है और तीन फर्लांग दूर पर टेलीफोन है जिससे मेम्बरों को बड़ी तकलीफ होती है। इसके अलावा दारुलशफा में तीन कमरे की इमारत है जो यहां पर डेढ़ कमरा ही है तो वहां की तरह से यहां भी सुविधायें दी जायंगी ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि :

(१) रसोईघर तो मैं समझता हूं कि दारुलशफा में भी कहीं नहीं है। वह तो एक नक्शा बना है और उसी के मुताबिक वह बनाये गये हैं। अब अगर रसोईघर बनाये जायेंगे तो काफी खर्चा होगा। इसलिये इसका कोई इरादा नहीं है।

(२) यह तो और भी आवश्यक था कि दारुलशफा में रसोईघर पहले बने तो मैं समझता हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जहां तक अन्य सुविधाओं का सवाल है उसको देख लिया जायेगा और जो सुविधायें वहां हैं उसी के मुताबिक यहां भी जितनी आवश्यक हैं, दे दी जायं।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला।

सही उत्तर इस प्रकार है :—

(१) ८ कमरों में रसोईघर का प्रबन्ध किया जा रहा है।

(२) सभी २४ कमरों में रसोई घर का प्रबन्ध किया जा रहा है। जो नये ३२ कमरे बन रहे हैं उनमें रसोईघर कमरों के साथ-साथ बनाये जा रहे हैं।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

कमलापति त्रिपाठी,
गृह मंत्री।

श्री लक्ष्मणराव कदम, एम० एल० ए० द्वारा पूछे गये प्रथम सत्र के ३रे शुक्रवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ४ व ५ तथा उनके उत्तर :

प्रश्न	उत्तर
४—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायल होटल में जिन चार मंजिल के ३२ कमरों की जनवरी, १९६० में नींव पड़ी है क्या उनके बनाने वाले ठेकेदार से उनके डेढ़ साल में बना देने का एग्रीमेंट हुआ है ?	जी हां।
—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त कमरों के लिये कौन-कौन-सा फर्नीचर खरीद लिया गया है ? ..	सूचना संलग्न है।

कमलापति त्रिपाठी,
गृह मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १८३ एल० ए—१९६०—८४५।

उत्तर प्रदेश विधान सभा